।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 21.07.2020 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित बंदी खुला शिविर समिति की **बैठक दिनांक 21.07.2020** को **अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर** की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. **श्री विक्रम सिंह** — **सदस्य**
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।

2. **श्रीमती मोनिका अग्रवाल,** — **सदस्य सचिव**
   कार्यवाहक उप महानिरीक्षक कारागार
   रेंज, जयपुर।

3. **श्री कैलाश चन्द,** — **सदस्य**
   उप शासन सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

4. **श्री रमेश कुमार दहमीवाल,** — **सदस्य**
   सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

बैठक में कुल 505 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनमें निम्नलिखित दण्डित बंदियों को वरिष्ठता क्रम में आने के उपरान्त भी निम्न वर्णित कारणों से खुला बंदी शिविर हेतु चयनित नहीं किया गया है :-

1. **नाथू पुत्र भूरा, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 34 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2005 अंतर्गत धारा 393, 332/34 आई.पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 178/2005 अंतर्गत धारा 394 आई. पी.सी. में दिनांक 21.07.2006 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2006 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2006 अंतर्गत धारा 395, 333 आई.पी.सी. में दिनांक 06.02.2007 को भुगती सजा से दण्डित।
5. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 242/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 23.02.2007 को 02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।
6. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 363/2005 अंतर्गत धारा 452, 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 16.03.2007 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
7. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या 58/2005 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 18.10.2007 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
8. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2005 अंतर्गत धारा 395, 325, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

9. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2005 अंतर्गत धारा 395, 323 आई. पी.सी. में दिनांक 04.07.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

इस प्रकार बंदी दो से अधिक 09 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नाथू पुत्र भूरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. **कृष्णलाल पुत्र गोपीराम, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 34 वर्ष 06 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

उक्त बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 हनुमानगढ़ द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 62/1987 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 21.03.1995 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 1 हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 27/1993 अंतर्गत धारा 302/149, 120बी, 307/149, 120बी, 148 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी. बी. मर्डर रेफरेंस नं. 1/1997 डी.बी. क्रिमिनल अपील नं. 574/97, 575/1997 में निर्णय दिनांक 13.11.98 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मृत्युदण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डी.बी. क्रिमिनल अपील नं. 812-14, 815-16, 819-20, 817-18, 821-22, 980, 1017/1999 एवं 298/2001 निर्णय दिनांक 29.03.2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए आदेश दिये थे कि " We are inclined to hold that for him the imprisonment for life shall be the imprisonment in prison for the rest of his life. He shall not be entitled to any commutation or premature release under section 401 of the code of criminal Procedure, Prisoners Act, Jail Manual or any other statute and the Rules made for the purposes of grant of commutation and remissions."

अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में नहीं भेजे जाने की प्रवंदना की है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कृष्णलाल पुत्र गोपीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. **भंवरलाल पुत्र बुधाराम, के.का. जोधपुरः-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 34 वर्ष 02 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी के परिजन द्वारा भी उसकी खुला शिविर में देखभाल करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भंवरलाल पुत्र बुधाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. **रमेश उर्फ राधेश्याम पुत्र देवी, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 30 वर्ष 02 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2005 अंतर्गत धारा 393, 332/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.09.2005 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर (पाली) द्वारा प्रकरण संख्या 178/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 21.07.2006 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 01/2006 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर कैम्प, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2006 अंतर्गत धारा 395, 333 आई.पी.सी. में दिनांक 07.02.2007 को भुगती सजा से दण्डित।

5. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 242/2005 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 23.02.2007 को 02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।

6. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या 58/2005 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 18.10.2007 को 04 वर्ष कठोर कारावास।

7. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2005 अंतर्गत धारा 395, 325, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

8. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, परबतसर द्वारा परबतसर प्रकरण संख्या 09/2005 अंतर्गत धारा 395, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 04.07.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

इस प्रकार बंदी दो से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश उर्फ राधेश्याम पुत्र देवी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

5. **देरामराम उर्फ देवाराम पुत्र शिवलाल, के.का. जोधपुरः-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 27 वर्ष 01 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 09.12.2013 को बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया था किंतु स्थाई पैरोल के दौरान बंदी द्वारा अपराध कारित किये जाने से बंदी की स्थाई पैरोल राज्य सरकार द्वारा रिवोक की जाकर बंदी को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देरामराम उर्फ देवाराम पुत्र शिवलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

6. **अनवर पुत्र रमजानी, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 27 वर्ष 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 143/1998 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.11.1998 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 05 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 17/1999 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.11.2000 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद द्वारा प्रकरण संख्या 371/1997 अंतर्गत धारा 458, 384, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 04.01.2003 को 04.01.2003 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
4. माननीय एम.जे.एम. विजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 29.08.2016 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
5. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, डकैती एवं अपहरण प्र.क्षेत्र श्योपुर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2015 अंतर्गत धारा 307, 506 भाग-2 आई.पी.सी. में दिनांक 12.01.2017 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
6. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 15.11.2017 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
7. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 113/2015 अंतर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.01.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को खुला बंदी शिविर, जैतसर से दिनांक 19.09.2014 को उपस्थिति के दौरान अनुपस्थित पाया गया। जिसको तलाश करने पर बंदी के नहीं पाये जाने से पुलिस थाना, जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 294 दिनांक 20.09.2014 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई। बंदी को दिनांक 30.10.2015 को उप कारागृह,

सूरतगढ़ में दाखिल करवाया गया। बंदी को माननीय सी.जे. एवं जे.एम. श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर) द्वारा प्रकरण संख्या 114/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में एक वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी सजा दिनांक 28.10.2016 को समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के विरूद्ध 04 अन्य प्रकरण विचाराधीन बताये है।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में निरूद्धीकरण के दौरान बंदी ने दिनांक 19.04.2018 को एक अन्य बंदी की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना समाज हित में उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अनवर पुत्र रमजानी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

7. नन्दजीराम पुत्र मथुरालाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 25 वर्ष 06 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी एवं लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा आपात/नियमित पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नन्दजीराम पुत्र मथुरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

8. पप्पू उर्फ सलीम पुत्र सकूर खां, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 23 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी समलेटी बमकाण्ड में सजायाफ्ता है।

अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पप्पू उर्फ सलीम पुत्र सकूर खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

9. **कावा पुत्र सवा, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 22 वर्ष 10 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा आपात/नियमित पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कावा पुत्र सवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

10. **जेठाराम पुत्र नेमाराम, के.का. जयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 22 वर्ष 09 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी दिनांक 06.01.2015 को बंदी खुला शिविर, सांगानेर से फरार हो गया था, जिस पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी संख्या 28/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 14.01.2015 को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 20 सांगानेर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 754/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 22.05.2015 को 04 माह 10 दिवस साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी भी है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जेठाराम पुत्र नेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

11. पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 22 वर्ष 04 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2002 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 27.08.2002 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर द्वारा प्रकरण संख्या 228/2013 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 25.05.2015 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2013 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 12.02.2018 को आजीवन कारावास।

बंदी खुला शिविर, जैतसर में दिनांक 29.06.2013 को प्रहरी श्री किशनलाल की हत्या हो जाने पर बंदियों की गिनती कराने पर बंदी पृथ्वीराज बंदी खुला शिविर से फरार मिला, जो पुनः गिरफ्तार होकर उप कारागृह, सूरतगढ़ के मार्फत दिनांक 05.08.2013 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर को प्राप्त हुआ।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

12. लालचंद उर्फ लालिया पुत्र राजू उर्फ कचरूमल डूम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 20 वर्ष 11 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 28/2003 अंतर्गत धारा 302, 148, 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. क्रिमि. मर्डर रेफरेंस नं. 1/2003 एवं डी.बी. क्रिमिनल जेल अपील नं. 698/2003 तथा डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 744/2003 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 09.10.2003 को अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया। बंदी की एस.एल.पी. क्रिमिनल (अपील) संख्या 4695-4696/2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2004 के द्वारा खारिज की जाकर सजा यथावत रखी गई।

बंदी की दया याचिका गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ.नं. 14/4/2004 ज्यूडिशियल सेल दिनांक 08.05.2012 के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान की धारा 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ परिवर्तित किया है कि बंदी जीवन पर्यन्त जेल में रहेगा तथा इसकी सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धारा 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में दण्डित है, के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालचंद उर्फ लालिया पुत्र राजू उर्फ कचरूमल डूम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

13. **मुकेश हरिजन पुत्र छोटूलाल, के.का. कोटा** :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 20 वर्ष 03 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है साथ ही जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 19.05.2018 को अनुपस्थिति अवधि के रेमीशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी वर्तमान में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

बंदी के प्रतिबंधित धारा में आजीवन कारावास से दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश हरिजन पुत्र छोटूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

14. **प्रभुलाल पुत्र बलदेवा, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 19 वर्ष 10 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 1, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 95/2003 में दण्डित करते हुए यह अंकन किया गया है कि ''बंदी द्वारा 04 वर्ष की बच्ची के साथ बलपूर्वक बलात्कार किया गया है, तत्पश्चात् बच्ची की मृत्यु हो गई, अतः अभियुक्त के गंभीर व जघन्य अपराध को देखते हुए आदेशित किया है कि बंदी अपना शेष सारा जीवन कारावास में ही व्यतीत करेगा, जेल से बाहर नहीं आयेगा।'' के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभुलाल पुत्र बलदेवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

15. **राजूदास पुत्र मंसादास, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 19 वर्ष 05 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी ने अधीक्षक जेल के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर खेती-बाड़ी का काम करने में पूर्णतः असमर्थ बताने के कारण इसे दिनांक 03.09.2017 को जेल दाखिल कराया गया था।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा अन्य बंदी के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 27.03.2019 को 03 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, तत्पश्चात् बंदी के 06 माह से निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को पुनः 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में खुला बंदी शिविर में कार्य करने से मना करने एवं नियमानुसार खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजूदास पुत्र मंसादास** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

16. **नारायणसिंह पुत्र पूनमाजी, के.का. जोधपुर** :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 19 वर्ष 04 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 23.12.2014 को रात्रि में बिना बताये खुला बंदी शिविर से चले जाने व प्रातः रोलकॉल में उपस्थित नहीं होने तथा दिनांक 24.12.2014 को दोपहर 12.10 बजे उपस्थित होने पर बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जेल दाखिल किया गया।

तत्पश्चात् बंदी को दिनांक 14.10.2015 को पुनः बंदी खुला शिविर, बाड़मेर पर भेजा गया, के दौरान दिनांक 27.08.2018 को अन्य बंदियों के साथ शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा करने, गाली-गलौच करने, प्रभारी व गेट पर अन्य

स्टाफ के साथ अभद्रता करने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर में प्राथमिकी दर्ज कराने पर बंदी को गिरफ्तार कर श्रीमान् एस.डी.एम. बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाने पर बंदी को कदाचार के कारण पुनः जेल दाखिल कराया गया है, इस प्रकार बंदी का आचरण संतोषप्रद नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त खुला बंदी शिविर में बंदी को भिजवाये जाने पर इसके द्वारा खुला बंदी शिविर में आदतन अनुशासनहीनता की जाती है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नारायणसिंह पुत्र पूनमाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

17. गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 18 वर्ष 10 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (46) गृह-12/कारा/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोपालसिंह पुत्र जगमालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

18. सियाराम पुत्र लोडक्या, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 18 वर्ष 10 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी वृद्ध एवं लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (87) गृह-12/कारा/2018 दिनांक 24.01.2019 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सियाराम पुत्र लोडक्या** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

19. **मोहन पुत्र रूपा, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 18 वर्ष 10 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी के परिजनों द्वारा बंदी की खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु असहमति दी है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन पुत्र रूपा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

20. **सम्पतराज पुत्र गोपाल, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 18 वर्ष 06 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(35) गृह-12/कारा/2018 दिनांक 13.06.2018 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सम्पतराज पुत्र गोपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

21. **राजू भील पुत्र कस्तुरा, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 18 वर्ष 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/1998 अंतर्गत धारा 302/149, 452, 148 आई.पी.सी. में दिनांक 07.04.2001 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 515/2005 अंतर्गत धारा 454, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 21.09.2005 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, प्रथम वर्ग, संख्या 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 323/2005 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 14.12.2005 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, प्रथम वर्ग, संख्या 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 269/2005 अंतर्गत धारा 457/34 आई.पी.सी. में दिनांक 24.02.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या, संख्या 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 455/2005 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 29.03.2005 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
6. माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अजमेर नगर दक्षिण, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 592/2005 अंतर्गत धारा 392, 365 आई.पी.सी. में दिनांक 05.06.2009 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
7. माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अजमेर नगर पूर्व, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 174/2009 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 20.08.2010 को 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास।
8. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग संख्या 01, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2011 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 27.10.2014 को 05 वर्ष साधारण कारावास।

A 2

दिनांक 13.10.2006 को अन्य विचाराधीन प्रकरण संख्या 370/2006 में श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, संख्या 02 ब्यावर के समक्ष तारीख पेशी भुगताने हेतु भिजवाया गया, जहां से लौटते समय रोडवेज बस डिपो के बाहर चालानी गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया। जिसे पुनः दिनांक 01.03.2007 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू भील पुत्र कस्तुरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया

22. लक्ष्मण पुत्र हुरजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 18 वर्ष 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के मानसिक रोगी होने से उसके परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर खुला शिविर में भेजे जाने हेतु प्रवंदना की है, किंतु परिजन द्वारा आदिनांक तक कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लक्ष्मण पुत्र हुरजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

23. पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 11 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी वर्ष 2006 में बाद पेशी उदयपुर से बीकानेर जाते समय दिनांक 20.08.2006 को पुलिस अभिरक्षा से चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया, जिसे दिनांक 02.10.2006 को जिला कारागृह, चित्तौड़गढ़ से सजा भुगतने हेतु जेल दाखिल कराया गया।

वर्ष 2008 में पेशी पर उदयपुर जाते समय दिनांक 12.02.2008 को पुलिस गार्ड को नशीला पदार्थ खिलाकर ट्रेन से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.08.2010 को केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में दाखिल कराया गया, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय ए.डी.जे. संख्या 17, जयपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 अंतर्गत धारा 17, 18, 18बी, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत भी दण्डित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

24. दुर्गाशंकर पुत्र चौथमल धाकड़, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 11 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गाशंकर पुत्र चौथमल धाकड़** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

25. अल्लू उर्फ अलीम पुत्र अजीज खां, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 09 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) नं. 01, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 68/2003 अंतर्गत धारा 302, 324 आई.पी.सी. में दिनांक 24.07.2003 को आजीवन कारावास।

2. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 520/2001 अंतर्गत धारा 324 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.11.2004 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 318/2005 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 01.09.2005 को 06 माह साधारण कारावास।
4. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. संख्या, 5 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 376/2005 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.09.05 को एक वर्ष साधारण कारावास।
5. श्रीमान् मुख्य न्यायाधीश, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 353/2003 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.03.17 को 06 माह साधारण कारावास।

संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन, अजमेर के पत्रानुसार बंदी बाद पेशी कोटा से लौटते हुए अजमेर स्टेशन पर दिनांक 18.07.2004 को रात्रि 2.30 ए.एम. पर फरार हो गया था, जिसे दिनांक 20.07.2004 को फरारी के पश्चात् जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) एवं 02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित होने से नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अल्लू उर्फ अलीम पुत्र अजीज खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

26. सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 07 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 460/34, 302/34 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा अपनी मृत्यु तक काटेगा, के दण्ड से दण्डित होने से बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर उसके खुला शिविर से फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

साथ ही बंदी, प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुखवीर उर्फ कुल्ली पुत्र प्रहलाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

27. धोलू उर्फ प्रेमचंद पुत्र मूंगाराम, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 05 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.08.2015 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के खुला शिविर प्रकरण पर विचार कर बंदी के मानसिक रोगी होने से उसके भाई द्वारा देखभाल करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर खुला शिविर, झुंझुंनू में भेजा गया था, किंतु बंदी के परिजनों द्वारा खुलां बंदी शिविर में उसे नहीं संभाला गया, के दृष्टिगत बंदी को जेल दाखिल किया गया था, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धोलू उर्फ प्रेमचंद पुत्र मूंगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

28. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 04.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर, खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1054/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी गई। बंदी को माननीय ए.सी.जे.एम. 20

सांगानेर जयपुर महानगर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 1054/2018 पुलिस थाना सांगानेर द्वारा अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 15.11.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

29. **बलबीर पुत्र रमेश्वर, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 04 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 06.03.2009 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 25.03.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 01.04.2009 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 4751/2010 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) संख्या 04 जयपुर शहर द्वारा बंदी को एक वर्ष के कारावास व 200/- जुर्माना अ.अ. 07 दिवस के कारावास से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 19.09.2016 को प्रातः रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। पुलिस थाना, बीछवाल बीकानेर द्वारा दिनांक 22.10.2016 को गिरफ्तार कर म्य जे.सी. वारंट के जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलबीर पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

30. राकेश पुत्र घासीराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 02 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01 जोधपुर के आदेशानुसार दिनांक 10.08.2009 को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 25.08.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे दिनांक 28.08.2009 को अन्य प्रकरण 109 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात् बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 09.04.2013 को रिहा कर दिनांक 28.04.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु नियत तिथि को बंदी जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना बासनी द्वारा गिरफ्तार कर जे.एम. नं. 4 जोधपुर के सी.आर. नं. 124 दिनांक 25.05.2013 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. के अंतर्गत गिरफ्तार कर दिनांक 30.05.2013 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत खुला बंदी शिविर साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

31. राजमल पुत्र रामचन्द्र, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 11 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है एवं बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में देख-रेख करने की जिम्मेदारी से मना किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजमल पुत्र रामचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

32. राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र पालाराम, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 11 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चूरू के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 01.09.2010 को 15 अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 16.09.2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व कारागृह पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु नियत तिथि को बंदी जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी दिनांक 20.05.2011 को पुनः जेल दाखिल कराया गया।

बंदी पूर्व में बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 23.03.2016 को सायंकाल हाजिरी में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, जिसे अन्य प्रकरण में दिनांक 24.04.2016 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा अन्य बंदियों के साथ मिलकर दण्डित बंदी आमीन खान पुत्र यासीन खान से मारपीट किये जाने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 28.11.2018 को 10 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र पालाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

33. हरभान सिंह पुत्र बदरू उर्फ बन्दरू, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 10 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, भरतपुर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 27.06.2019 को रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 383/2019

मे दर्ज कराई गई। बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 29.06.2019 को केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर में दाखिल करवाया गया। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा दिनांक 28.08.2019 से 30.09.2019 तक व दिसम्बर, 2019 में जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जेल उद्योगशाला जाने एवं कार्य करने हेतु चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरभान सिंह पुत्र बदरू उर्फ बन्दरू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

34. बहादुरसिंह पुत्र मालसिंह, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 09 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, जिसे दिनांक 13.12.2015 को खुला बंदी शिविर पर अनुशासनहीनता/कदाचार करने के कारण जेल दाखिल किया गया।

बंदी को पुन: दिनांक 08.05.2019 को खुला बंदी शिविर, खाटूश्यामजी पर भिजवाया गया, तत्पश्चात् बंदी द्वारा स्वयं का स्थानान्तरण बंदी खुला शिविर, सांगानेर करवाया गया। बंदी दिनांक 10.11.2019 को बंदी खुला शिविर, सांगानेर से सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर (जयपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 1745/2019 दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सांगानेर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 13.11.2019 को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दाखिल करवाया गया। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बहादुरसिंह पुत्र मालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

35. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 09 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 25.10.2008 को रिहा कर दिनांक 23.11.2008 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 24.04.2013 को जेल दाखिल (के.का. जयपुर) कराया गया। बंदी 04 वर्ष 04 माह 01 दिवस पैरोल से फरार रहा है एवं फरारी के दौरान एक अन्य प्रकरण में माननीय ए.डी.जे. संख्या 02 महिला उत्पीड़न जयपुर महानगर द्वारा बंदी को 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

36. बालचंद पुत्र नारूमल उर्फ नारूलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 07 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी विचाराधीन अवधि के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था एवं बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (24) गृह-12/कारा/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा बंदी की स्थाई पैरोल स्वीकृत की जा चुकी है, राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी स्थाई पैरोल हेतु निर्धारित जमानत तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालचंद पुत्र नारूमल उर्फ नारूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

37. कैलाशी बाई पत्नी बाबुलाल, के.का. कोटा :- *महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 07 माह 15* दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

महिला बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने महिला बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान महिला बंदी द्वर नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाशी बाई पत्नी बाबुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

38. विष्णु पुत्र नेकराम, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 04 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02 धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 138/2005 अंतर्गत धारा 302/34, 323/34, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 20.08.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 326/2005 अंतर्गत धरा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 28.10.2014 को 05 वर्ष कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (श्रीगंगानगर) द्वारा प्रकरण संख्या 543/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 19.12.2016 को 06 माह साधारण कारावास।

4. माननीय स्पेशल जज पोक्सो केसेज, धौलपुर के प्रकरण संख्या 33/2018 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 7, 8 पोक्सो एक्ट में दिनांक 19.12.2018 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 02.03.2015 को फरार हो गया, जिसे माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर की एफ.आई.आर. संख्या 364/2015 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. एवं 2, 3 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर दिनांक 08.10.2015 को जेल दाखिल कराया गया था तथा दिनांक 11.10.2015 को केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर में दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी जेल उद्योगशाला से माह जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक एवं मई 2019 से दिसम्बर 2019 तक अनुपस्थित रहने तथा कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जेल उद्योगशाला जाने एवं कार्य करने हेतु चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विष्णु पुत्र नेकराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

39. **धर्मेन्द्रसिंह उर्फ राजु उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह, के.का. श्रीगंगानगर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 09.09.2010 को रिहा कर दिनांक 28.09.2010 को जेल दाखिल होने हेतु नाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 11.02.2015 को बाद फरारी जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सैशन न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 02/2015 अंतर्गत धारा 302, 201, 376 आई.पी.सी. में वांछित भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेन्द्रसिंह उर्फ राजू उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

40. देवेन्द्रसिंह पुत्र रतिपालसिंह, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 01 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 09.05.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 437/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्रसिंह पुत्र रतिपालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

41. मोमनराम पुत्र प्रेमाराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोमनराम पुत्र प्रेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

42. **प्रेम सिंह पुत्र भरत सिंह, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 20.07.2007 को रिहा कर दिनांक 08.08.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना सेवर द्वारा गिरफ्तार कर एफ.आई.आर. संख्या 329/2007 अंतर्गत धारा 224, 216, 225 आई.पी.सी. में दिनांक 12.08.2014 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह मई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व शेष दिन कार्य नहीं करने तथा माह अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 तक आवंटित कार्य से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गई।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 07 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रेम सिंह पुत्र भरत सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

43. **कैलाश पुत्र हीरालाल, के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 16 वर्ष 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 525/2009 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में दिनांक 12.11.2009 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 525/2009 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 26.11.2009 को 05 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 570/2009 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 548/2009 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में 03 वर्ष साधारण कारावास।
5. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 514/2009 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।
6. माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 547/2009 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को 02 से अधिक 06 प्रकरणों में दण्डित किया गया है तथा बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) व (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं तथा अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र हीरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

44. ताहिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 11 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, जिसे 30.09.2019 को खुला शिविर नियमों का पालन नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण खुला बंदी शिविर, सांगानेर से जेल दाखिल किया गया था, इस प्रकार बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ताहिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

45. **रामनिवास पुत्र दाताराम, के.का. बीकानेर** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 10 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 02, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 29/2005 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 20.09.2005 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 365/05 अन्तर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 03.08.2006 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 284/11 अन्तर्गत धारा 11(2) राज.बंदी अधिनियम में दिनांक 13.03.2012 को 11 माह साधारण कारावास।
4. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 118/07 अन्तर्गत धारा 379/511 आई.पी.सी. में दिनांक 30.09.2009 को 10 माह 05 दिवस साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 07.09.2005 को झुंझुंनू कोर्ट से बाद पेशी खेतड़ी जेल ले जाते समय चालानी गार्ड से फरार हो गया था। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 09.09.2005 को जिला कारागृह, झुंझुंनू पर दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात् बंदी को दिनांक 04.02.2011 को 7 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 10.02.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 03.05.2011 को जिला कारागृह, झुंझुंनू द्वारा जे.सी.वारंट सहित जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामनिवास पुत्र दाताराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

46. लालाराम पुत्र चुन्नीलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 10 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैसलमेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.08.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया तथा बंदी को दिनांक 16.11.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी, खुला बंदी शिविर से 03 माह फरार रहा है तथा बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालाराम पुत्र चुन्नीलाल** को खुला बंदी *शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।*

47. धन्नाराम पुत्र जोगाराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 10 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 16.08.2019 को सी.आर.पी.सी. की धारा 151 में प्रकरण दर्ज होने पर कदाचार करने के कारण खुला बंदी शिविर, बीछवाल से जेल दाखिल किया गया था, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है साथ ही बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धन्नाराम पुत्र जोगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

48. प्रहलाद सिंह पुत्र सुवालाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 08.10.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर में एफ.

आई.आर. संख्या 1597/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सांगानेर द्वारा बंदी को दिनांक 09.10.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी उक्त प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रहलाद सिंह पुत्र सुवालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

49. वेदप्रकाश उर्फ वेदिया पुत्र ओमप्रकाश, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 21/2007 अंतर्गत धारा 302, 148, 460, 376 (2) जी, 395 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दायर डी.बी. क्रिमि. मर्डर रेफरेंस नं. 03/2010 एवं डी.बी. क्रिमिनल अपील नं. 18/2011 तथा डी.बी. क्रिमिनल जेल अपील संख्या 19/2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.2012 को मृत्युदण्ड की सजा को इस शर्त पर आजीवन कारावास में तब्दील किया गया कि बंदी जीवनपर्यन्त जेल में रहेगा तथा सजा का कोई लघुकरण नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रतिबंधित धाराओं, 460, 395, 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में दण्डित किये जाने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गृह-भेदन, डकैती, गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी वेदप्रकाश उर्फ वेदिया पुत्र ओमप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

50. विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 17.08.2010 को रिहा कर दिनांक 25.09.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 14.07.2019 को माननीय एम.एम. संख्या 03, जोधपुर महानगर के आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। वर्तमान में बंदी प्रकरण संख्या 319/2019 (फरारी प्रकरण) में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रतिबंधित धाराओं 396, 397, 398 आई.पी.सी. में दण्डित किये जाने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा डकैती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। हाल ही बंदी बाद पैरोल फरारी जेल दाखिल कराया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

51. धोलिया उर्फ उमरिया उर्फ उमराव पुत्र चेतराम, के.का. बीकानेर:- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 07 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। साथ ही प्रकरण संख्या 56/2007 में बंदी को 302 आई.पी.सी. के तहत प्रदत्त मृत्यु दण्ड़ की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर मृत्यु तक जेल में रहने के दण्ड से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **धोलिया उर्फ उमरिया उर्फ उमराव पुत्र चेतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

52. **टोनी कुमार उर्फ विकास पुत्र चन्द्रशेखर, के.का. बीकानेरः-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 07 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (48) गृह-12/कारा/2019 दिनांक 26.11.2019 द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेशानुसार बंदी निर्धारित जमानतें तस्दीक कराकर स्थाई पैरोल पर जायें।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **टोनी कुमार उर्फ विकास पुत्र चन्द्रशेखर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

53. **घनश्याम पुत्र नाथू के.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 07 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी लाचार एवं मानसिक रोगी होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4(क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घनश्याम पुत्र नाथू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

54. **ईश्वरसिंह पुत्र जबरसिंह, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 05 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.07.2015 को रिहा कर दिनांक 18.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जालोर में एफ.आई.आर. संख्या 318 दिनांक 19.08.2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी.

दर्ज करवायी गई। श्रीमान् उप रजिस्ट्रार माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 18.07.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी कुल 02 वर्ष 11 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 17.12.2019 को तलाशी के दौरान बंदी के पास एक मोबाइल मय 02 सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 10 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ईश्वरसिंह पुत्र जब्बरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

55. **शिवसिंह पुत्र हण्डूराम, के.का. भरतपुर** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 05 माह 13 दिवस की सज़ा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय डी.जे. करौली द्वारा प्रकरण संख्या 218/2001 अंतर्गत धारा 302, 148, 149 आई.पी.सी. में दिनांक 10.07.2002 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. बाड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 629/2001 अंतर्गत धारा 323, 387 आई.पी.सी. में दिनांक 09.10.2003 को 01 माह साधारण कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. करौली द्वारा प्रकरण संख्या 47/2008 अंतर्गत धारा 224, 216 आई.पी.सी. में दिनांक 17.12.2014 को 04 माह साधारण कारावास।
4. माननीय स्पेशल जज ड.प्र.क्षे. (डी.जे.) करौली द्वारा प्रकरण संख्या 82/2013 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.06.2016 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 17.04.2007 को रिहा कर दिनांक 06.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी को बाद फरारी एफ.आई.आर. संख्या 49/2013 पुलिस थाना सदर जिला करौली अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर दिनांक 20.03.2013 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 05 वर्ष 10 माह 14 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

बंदी माह मई, 2019 से जून 2019, माह अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 तक जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य कम किये जाने व अधिकांशतः अनुपस्थित रहने से अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई थी व नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (च) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवसिंह पुत्र हण्डूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

56. भगवान सिंह पुत्र सुमरत्या, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 05 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भरतपुर से दिनांक 24.03.2016 को फरार हो गया, जिसे 27.03.2016 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात् बंदी को पुनः दिनांक 08.05.2019 को खुला बंदी शिविर, अलवर भिजवाया गया, जहां से बंदी दिनांक 07.08.2019 को पुनः फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 788/2019 दर्ज कराई गई। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

बंदी द्वारा दिनांक 17.09.2019 से दिसम्बर 2019 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने पर जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई थी व नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भगवान सिंह पुत्र सुमरत्या** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

57. मुकेश कुमार पुत्र घासीराम, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 04 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सीकर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 07.12.2019 को खुला बंदी शिविर में सजा भुगत रहे अन्य बंदियों के आवास गृह में आग लगा दी व खुला बंदी शिविर में अशांति का माहौल फैलाने के कारण दिनांक 08.12.2019 को उप महानिरीक्षक रेंज, जयपुर के दूरभाष निर्देशों के क्रम में बंदी को जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर में अन्य बंदियों के आवासगृहों में आग लगाकर अनुशासनहीनता की गई है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश कुमार पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

58. रमजान पुत्र घीसू खां, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 28.12.2018 को प्रातः रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली बाड़मेर में एफ.आई.आर. संख्या 533/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना कोतवाली द्वारा दिनांक 04.01.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है। बंदी की फरारी की घटना को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है तथा न ही बंदी के फरारी प्रकरण का निस्तारण हुआ है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमजान पुत्र घीसू खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

59. रोशन पुत्र मनोहर वेन्द्र, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी रोलकॉल के पश्चात् खुला बदी शिविर, सांगानेर से बाहर खाना लेने गया था, उसी समय अज्ञात लोगों द्वारा बंदी के साथ मारपीट करने पर बंदी व

बाहरी व्यक्तियों को पुलिस थाना सांगानेर (जयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर माननीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उनके प्रकरण संख्या 1068/2019 अंतर्गत धारा 151, 107 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में बंदी को दिनांक 15.07.2019 को जेल दाखिल करवाया गया। इस प्रकार बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रोशन पुत्र मनोहर वेन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

60. **ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 02 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत बंदी खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र बजरंग लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

61. **चन्दूराम पुत्र भोन्दूराम, के.का. श्रीगंगानगर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 01 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी बंदी खुला शिविर, जैतसर से दिनांक 01.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-जैतसर जिला श्रीगंगानगर में एफ.आई.आर. संख्या 263/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के

कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चन्दूराम पुत्र भोन्दूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

62. रोहिताश पुत्र कालूराम, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रोहिताश पुत्र कालूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

63. सुनील उर्फ सोना पुत्र विरम भाई, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान टैक्सी चालक का कार्य करता था तथा सवारी लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाने पर बी.एस.एफ. द्वारा गिरफ्तार कर बाद पूछताछ किसी अपराध में संलिप्त नहीं पाये जाने पर बंदी को पुलिस को सुपुर्द किया गया तथा पुलिस द्वारा बंदी को धारा 151, 107 सी.आर. पी.सी. में जेल दाखिल कराया गया। प्रभारी, बंदी खुला शिविर, बाड़मेर द्वारा भी बंदी के दिनांक 04.10.2017 को सांयकाल रोलकॉल में बंदी के उपस्थित नहीं होने पर पुलिस थाना, कोतवाली बाड़मेर में एफ.आई.आर. संख्या 364/2017 दर्ज कराई गई। तत्पश्चात् बंदी द्वारा उक्त प्रकरण में जमानत कराये जाने पर बंदी को पुनः बंदी खुला शिविर, बाड़मेर पर भिजवाया गया।

बंदी खुला शिविर, बाड़मेर में सजा भुगतने के दौरान बंदी के विरूद्ध पोक्सो न्यायालय बालोतरा में प्रकरण 13/2019 अंतर्गत धारा 452, 376 (2) आई.पी.सी. में दर्ज होने के कारण बंदी को दिनांक 03.02.2019 को पुनः जेल दाखिल करवाया गया, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील उर्फ सोना पुत्र विरम भाई** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

64. **श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र भैरूलाल, के.का. बीकानेर** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायालय एस.सी.एस.टी. एक्ट झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 56/2006 अंतर्गत धारा 302 आई. पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 20.01.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय जे.एम. चिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 212/2005 अंतर्गत धारा 341, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 12.03.2010 को भुगती सजा से दण्डित।
3. माननीय ए.स्.जे.एम. नं. 06 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2011 अंतर्गत धारा 325 आई.पी.सी. में दिनांक 16.04.2012 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
4. माननीय ए.सी.जे.एम. पी.सी.पी.एन.डी.टी.केसेज, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 488/2016 अंतर्गत धारा 3/24, 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29.08.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार 20 दिवस सामान्य पैरोल पर दिनांक 10.07.2014 को रिहा कर दिनांक 29.07.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 कोटा के एफ.आई.आर. संख्या 754/2014 पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा द्वारा दिनांक 15.12.2014 को केन्द्रीय कारागृह, कोटा में जेल दाखिल करवाया जाने पर दिनांक 20.12.2014 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र भैरूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

65. हरिसिंह उर्फ बबलू पुत्र भूपसिंह, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 11 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रेवाड़ी (हरियाणा) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 69/2002/2005 एवं क्रिमीनल अपील संख्या 879/2006 में अंतर्गत धारा 302, 397, 201 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में दी गई सजा वर्तमान में समाप्त हो चुकी है।

किंतु बंदी राजस्थान राज्य के बाहर के न्यायालय से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (क) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरिसिंह उर्फ बबलू पुत्र भूपसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

66. महावीर प्रसाद पुत्र अमराराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 10 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगतने के दौरान दिनांक 20.08.2016 को सांयकाल में उपस्थित नहीं मिला, पूछताछ करने पर बंदी खुला शिविर में नहीं पाया गया, जिस पर पुलिस थाना बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। दिनांक 23.08.2016 को श्रीमान् ए.सी.जे.एम. (पी.एल.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के एफ. आई.आर. संख्या 185/2016 पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 23.08.2016 को जेल दाखिल कराया गया एवं बंदी मनोरोगी भी है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महावीर प्रसाद पुत्र अमराराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

67. गोपाल पुत्र हरजी बागरिया, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) हाल-के.का. जयपुर:- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 10 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01, जयपुर शहर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2005 अंतर्गत धारा 302, 376, 201 आई.पी.सी. में बंदी को मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में डी.बी. क्रिमीनल अपील संख्या 846/2005 दायर की, जिसमें दिनांक 16.11.2005 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करते हुए बंदी को भुगती गई सजावधि को सम्मिलित करते हुए 20 वर्ष की सजा पूर्ण होने से पूर्ण जेल से रिहा नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये है तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विशेष अवसरों पर देय परिहार के लाभ से वंचित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोपाल पुत्र हरजी बागरिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

68. कृष्ण उर्फ करसन पुत्र जगताजी, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 08 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्णतया अंधा एवं लाचार है, के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को

खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है किंतु उसके परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में देखभाल करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कृष्ण उर्फ करसन पुत्र जगताजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

69. जगदीश पुत्र कान्हा, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, खाटूश्यामजी में सजा भुगत रहा था के दौरान दिनांक 24.1.2019 को गौशाला पदाधिकारियों से गाली-गलौच व मारपीट करने के फलस्वरूप बंदी को जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार बंदी का आचरण संतोषपद्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र कान्हा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

70. गणेश पुत्र छन्नीलाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 06 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर से दिनांक 11.06.2016 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना-सांगानेर जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 502/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर जयपुर द्वारा दिनांक 13.06.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गणेश पुत्र छन्नीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

71. **महेन्द्र कुमार पुत्र रामजी, के.का. उदयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 06 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में देखभाल करने हेतु असहमति दी है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र रामजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

72. **मनोज यादव उर्फ राजेश शर्मा उर्फ कुलदीप शर्मा उर्फ अजय शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा पुत्र बदन सिंह, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 06 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01, बीकानेर द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 05/2007 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 97/2010 में निर्णय दिनांक 18.07.2011 द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करते हुए निर्देशित किया है कि उसे शेष जीवन तक जेल से रिहा ना किया जावें।**

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोग से ग्रसित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनोज यादव उर्फ राजेश शर्मा उर्फ कुलदीप शर्मा उर्फ अजय शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा पुत्र बदनसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

73. **रामू पुत्र धूला, के.का. उदयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 06 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में देखभाल करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामू पुत्र धूला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

74. **बालमुकुन्द पुत्र रतनलाल, के.का. उदयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा उसकी खुला बंदी शिविर में देखभाल करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है किंतु बंदी के परिजनों द्वारा कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालमुकुन्द पुत्र रतनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

75. **राकेश पुत्र जसवंत, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 05 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशानुसार 06 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 05.03.2003 को रिहा कर दिनांक 10.03.2003 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 10.05.2014 को पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार बंदी 11 वर्ष 02 माह पैरोल से फरार रहा है।

बंदी को खुला बंदी शिविर हेतु प्रतिबंधित धारा 395, 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी के जेल उद्योगशाला से माह फरवरी 2019 व अप्रैल 2019 में आवंटित कार्य से अनुपस्थित व माह

मई, जून 2019 व माह जुलाई से दिसम्बर 2019 तक अधिकांशतः अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश पुत्र जसवंत** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

76. समयसिंह उर्फ पप्पू पुत्र परमानन्द उर्फ परमदिया, के.का. भरतपुरः- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 05 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित है :-

1. माननीय ए.डी.जे. फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 04/2002 अंतर्गत धारा 395, 396, 397 आई.पी.सी. व 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 02.11.2002 (प्रभावी दिनांक 31.10.2012) को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पेशल जज ड.प्र.क्षे. कोर्ट संख्या 04 फिरोजाबाद (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 140/2000 अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. 3/27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 17.04.2012 को आजीवन कारावास।
3. माननीय स्पेशल जज (ड.प्र.क्षे.) कोर्ट संख्या 08 आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 153/2009 अंतर्गत धारा 394, 411 आई.पी.सी. में दिनांक 26.08.2015 को 05 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।
4. माननीय ए.डी.जे. संख्या 03 हमीरपुर (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 50 बी/2011 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 04.08.2017 को भुगती सजा से दण्डित।

उक्त के अतिरिक्त बंदी अंतर्गत धारा 395, 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी समयसिंह उर्फ पप्पू पुत्र परमानन्द उर्फ परमदिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

77. मीठालाल पुत्र प्रभुलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 20.11.2013 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 29.12.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 28.06.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मीठालाल पुत्र प्रभुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

78. फूला पुत्र बसु डामोर, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 04 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 21.07.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, कोतवाली बाड़मेर में एफ.आई.आर. संख्या 348/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, कोतवाली, बाड़मेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 27.07.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी फूला पुत्र बसु डामोर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

79. राजेश पुत्र शंकरलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष 03 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी पूर्व में खुला बंदी शिविर, प्रतापगढ़ से दिनांक 02.07.2016 को सायंकाल रोलकॉल से फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना प्रतापगढ़ में एफ.आई.आर. संख्या 217/2016 अंतर्गत धारा 225 (ख) दर्ज करवायी गई। पुलिस थाना प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 05.07.2016 को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल करवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश पुत्र शंकरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

80. ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचंद, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 14 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 353 आई.पी.सी. में दिनांक 30.07.2011 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, नावां शहर नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 188/2010 अंतर्गत धारा 394, 342/34 आई.पी.सी. में दिनांक 27.03.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, रतनगढ़ जिला चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 01/2010 अंतर्गत धारा 307/34, 353 आई.पी.सी. में दिनांक 20.07.2018 को 07 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, नागौर के प्रकरण संख्या 134/2009 अंतर्गत धारा 365, 201, 302, 394/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन (जमानत पर) भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

81. जोगाराम पुत्र रूपाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 11 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 27.08.2018 को अन्य बंदियों के साथ शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा करने, गाली-गलौच करने एवं स्टाफ के साथ अभद्रता करने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला-बाड़मेर में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर एस.डी.एम. के समक्ष पेश करने पर बंदी की जमानत ले ली तथा बंदी को जेल दाखिल कराया गया, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोगाराम पुत्र रूपाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

82. अशोक कुमार पुत्र नैनाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 10 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.06.2007 को रिहा कर दिनांक 25.07.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना, उदयमंदिर, जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर एम.एम. संख्या 03 जोधपुर महानगर के आदेशानुसार दिनांक 02.09.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 12 वर्ष 01 माह 08 दिवस नियमित पैरोल से फरार रहा है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं

नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी के पैरोल से फरारशुदा होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में (जमानत पर) विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार पुत्र नैनाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

83. सोमाराम पुत्र सोनाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 10 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 11.07.2015 को बंदी खुला शिविर, बाड़मेर से फरार हो गया। जिसे दिनांक 19.04.2017 को पुनः जेल दाखिल कराया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण संख्या 309/2015 में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोमाराम पुत्र सोनाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

84. गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. श्रीमान् ए.डी.जे. गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 46/2008 अंतर्गत धारा 302, 404, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 01.08.2012 को आजीवन कारावास।
2. श्रीमान् जे.एम. संख्या 02 भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 203/2016 अंतर्गत धारा 58क, 58ख कारागृह अधिनियम में दिनांक 23.11.2016 को 01 वर्ष साधारण कारावास।
3. श्रीमान् जे.एम.-1 बामनवास (सवाई माधोपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 159/2016 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 27.01.2017 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 11.08.2015 को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 30.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 12.08.2016 को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, गंगापुर सिटी से जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

85. रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह राजपूत, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 09 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-02 (फास्ट ट्रेक) कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 12/2007 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 06.10.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय जे.एम. कनवास द्वारा प्रकरण संख्या 4/2004 अंतर्गत धारा 454, 380 आई.पी.सी. मे दिनांक 29.09.2010 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण संख्या 391/2017 अंतर्गत धारा 454, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 22.11.2017 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 31.10.2016 को प्रातः काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना, रामगंजमण्डी को गिरफ्तार कर दिनांक 30.01.2017 को उप कारागृह, रामगंजमण्डी में दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुल बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 16/2018 अंतर्गत धारा 379, 224 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह राजपूत** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

86. लालाराम उर्फ लालिया पुत्र पेमाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 15.10.2015 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 13.11.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 01.12.2015 को पुलिस थाना, औद्योगिक क्षेत्र पाली द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया।

तत्पश्चात् बंदी, खुला बंदी शिविर, बेलासर से दिनांक 22.07.2019 को प्रातः काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होने पर बंदी के दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर बंदी द्वारा पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में होना बताया तथा 01 घण्टे बाद खुला बंदी शिविर पर उपस्थित होने हेतु कहा गया, पुनः दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर बंदी का मोबाईल स्विच ऑफ पाया गया एवं बंदी, खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, नापासर बीकानेर में एफ.आई.आर. संख्या 123/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, नापासर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 10.08.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लालाराम उर्फ लालिया पुत्र पेमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

87. रमेश दौलतपुरिया पुत्र हरिशचन्द्र, उ.सु.का. अजमेरः- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 08 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 02.06.2007 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 11.07.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी दिनांक 16.06.2016 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी फरारी प्रकरण के अतिरिक्त 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.06.2018 को तलाशी के दौरान बंदी के पास एक मोबाईल मय सिम के बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। वर्तमान में बंदी को अधीक्षक जेल द्वारा दिये गये जेलदण्ड को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी की फरारी को ध्यान में रखते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश दौलतपुरिया पुत्र हरिशचन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

88. गोविन्द पुत्र लटूर, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 08 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बाड़मेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान 40 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 30.04.2019 को रिहा कर दिनांक 08.06.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 10.06.2019 को जिला कारागृह, बाड़मेर द्वारा केन्द्रीय कारागृह, कोटा भिजवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोविन्द पुत्र लटूर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

89. मादीया पुत्र सोमा, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 08 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा भरण-पोषण व उपचार हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है, किंतु बंदी के परिजनों का इस बाबत् शपथ-पत्र प्रेषित नहीं किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मादीया पुत्र सोमा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

90. हीरगिरी पुत्र नारायण गिरी, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 08 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, केशवाना (जालोर) में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी को उसके निवेदनानुसार दिनांक 04.05.2018 को उपचार हेतु जेल दाखिल करवाया गया।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरगिरी पुत्र नारायण गिरी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

91. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पूरणाराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 08 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 23.04.2012 को रिहा कर दिनांक 12.05.2012 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे पुलिस थाना सरदार शहर द्वारा दिनांक 15.06.2013 को गिरफ्तार कर श्रीमान् एस.डी.एम. सरदार शहर के प्रकरण संख्या 159/2013 के वारंट सहित दिनांक 16.06.2013 को जिला कारागृह, चूरू में दाखिल करवाया गया तथा दिनांक 21.06.2013 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 05.05.2018 को तलाशी के दौरान बंदी के पास नोकिया फोन बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 07.05.2018 को एक माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा दिनांक 30.12.2018 को पुनः तलाशी के दौरान सेमसंग मोबाईल बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 10 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 19.01.2019 को तलाशी के दौरान बंदी से 01 मोबाईल मय सिम बरामद किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 19.01.2019 को 07 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया तथा बंदी द्वारा 01 अन्य बंदी प्रभु सिंह का शिकायती पत्र गोपनीय रूप से छिपाकर पेशी पर ले जाने के दौरान तलाशी में पकड़ा गया, के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 10.04.2019 को बंदी को 02 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र पूरणाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

92. श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 07 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2002 अंतर्गत धारा 302/149, 148, 449, 364, 323, 324, 342, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 03.07.2003 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 504 आई.पी.सी. में दिनांक 28.02.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 324/34, 326/34, 341 आई.पी.सी. एवं 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 16.09.2013 को आजीवन कारावास।
4. माननीय अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश, मुक्तसर साहिब (पंजाब) द्वारा प्रकरण संख्या 117/2008 अंतर्गत धारा 307, 392, 324, 186, 353, 332, 427, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 23.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार अंतरिम जमानत पर दिनांक 07.02.2004 को रिहा कर दिनांक 16.03.2004 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया, जिसे दिनांक 01.07.2009 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 05 वर्ष 03 माह 15 दिवस अंतरिम जमानत से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। बंदी की माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 1356/2011 अंतर्गत धारा 227 आई.पी.सी. में जमानत जब्त है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

93. संजय पाण्डे पुत्र भालचंद, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 07 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी आनंदपाल गैंग से संबंधित है तथा उसे खुला बंदी शिविर में भेजा जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संजय पाण्डे पुत्र भालचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

94. गुड्डन पुत्र मनोहरसिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 06 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.) धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2006 अंतर्गत धारा 148, 302/149, 395, 396 आई.पी.सी. में दिनांक 03.06.2014 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर जिला जज कोर्ट नं. 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 86ए/2007 अंतर्गत धारा 394 आई. पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला जज कोर्ट नं. 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 295ए/2008 अंतर्गत धारा 394 आई. पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 269ए/2007 अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दिनांक 31.01.2018 को 03 वर्ष 02 माह साधारण कारावास।
5. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 530ए/2002 अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दिनांक 05.02.2018 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को 395 एवं 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा बंदी 11 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है तथा बंदी द्वारा डकैती, हत्या सहित डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डन पुत्र मनोहरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

95. समसू पुत्र कमला, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 05 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 27.02.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 28.03.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 16.08.2016 को पुलिस थाना सेवर (भरतपुर) द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण की सजा समाप्त हो चुकी है किंतु बंदी 07 वर्ष 04 माह 18 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जावें तथा आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवन्दना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी समसू पुत्र कमला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

96. शहजाद पुत्र लियाकत खां, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 03 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 04 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय ए.डी.जे. (फास्ट ट्रेक) नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2006 (38/2006) अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 15.05.2008 (प्रभावीदिनांक 06.04.2011) को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. नं. 03 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 823/2010 (236/2010) अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 18.08.2011 को 03 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय ए.सी.जे.एम. किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 304/2011 (615/2010) अंतर्गत धारा 411 आई.पी.सी. में दिनांक 23.03.2012 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

4. माननीय ए.डी.जे. नं. 04 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2012 अंतर्गत धारा 364/120बी, 302/120बी आई.पी.सी. एवं 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2014 को आजीवन कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को दिनांक 11.08.2010 को 07 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 17.08.2010 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 06.04.2011 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अन्य प्रकरण में जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 17.09.2014 को पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर ले जाते समय डेगाना रेल्वे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। जिसे दिनांक 06.12.2015 को पुनः गिरफ्तार होने पर जेल दाखिल किया गया। सजावधि के दौरान बंदी 02 बार फरार हुआ है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शहजाद पुत्र लियाकत खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

97. दुर्गालाल पुत्र नानूराम, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 03 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, बीछवाल से दिनांक 14.06.2017 को फरार हो गया था जिसे थानाधिकारी पुलिस थाना बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा फरारी के दौरान दुर्घटना ग्रसित होने पर पुनः गिरफ्तार कर शेष सजा भुगताने हेतु दिनांक 25.08.2017 को केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में दाखिल कराया गया। बंदी 02 माह 10 दिवस खुला बंदी शिविर से फरार रहा। बंदी को अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में भी दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

2 B

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गालाल पुत्र नानूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जने का निर्णय लिया गया।

98. पम्मा उर्फ परमजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 03 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 02 प्रकरणों में क्रमशः 10 वर्ष कठोर कारावास व आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों प्रकरणों में बंदी द्वारा 13 वर्ष 03 माह 17 दिवस की सजा भुगत लेने से पात्र है, परंतु बंदी द्वारा प्रथम प्रकरण की सजा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय प्रकरण की सजा दिनांक 17.02.2017 से प्रारम्भ की गई है, जिसमें बंदी 04 वर्ष 04 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार भुगती है, जो 06 वर्ष 08 माह से कम है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ग) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 14.10.2019 को सोमवारीय परेड के दौरान वार्ड संख्या 03 के संतरी के द्वारा बंदियों को जेल उद्योगशाला में कार्य हेतु जाने के लिये कहने के उपरांत भी बंदी जेल उद्योगशाला में कार्य हेतु नहीं गये, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 15.10.2019 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पम्मा उर्फ परमजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

99. हरनेकसिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तारासिंह, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 03 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय ए.डी.जे. संख्या 03 जयपुर मेट्रो जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 अंतर्गत धारा 364ए, 365, 343, 346, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 06.10.2017 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संया 03 जयपुर मेट्रो जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2017 अंतर्गत धारा 307, 353, 420, 468, 471 आई.पी.सी. 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 1908 सेक्शन 4 में दिनांक 06.10.2017 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

3. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 03 जयपुर मेट्रो जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2007 अंतर्गत धारा 176, 177, 468, 419 आई.पी.सी. एवं 3/25, 7/25 आर्म्स एक्ट व 1908 सेक्शन 4, 5 में दिनांक 06.10.2017 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी दो से अधिक तीन प्रकरणों में दण्डित है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी राजेन्द्र मिर्धा अपहरण काण्ड के संवेदनशील प्रकरण में सजा भुगत रहा है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए **बंदी हरनेकसिंह उर्फ सुरेन्द्र वर्मा उर्फ इन्द्रजीत सिंह पुत्र तानसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

100. ओमप्रकाश पुत्र नथमल, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 02 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में 20 दिवस पैरोल पर दिनांक 30.04.2007 को रिहा कर दिनांक 19.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 12.04.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 10 वर्ष 10 माह 24 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी प्रतिबंधित धारा 396, 397 व 398 आई.पी.सी. में क्रमशः आजीवन कारावास व 07-07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र नथमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

101. **राजूलाल पुत्र कजोड़मल, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 02 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 20.10.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1662/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 13.12.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी फरारी प्रकरण एवं 01 अन्य प्रकरण में विचारधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजूलाल पुत्र कजोड़मल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

102. **मीनू पुत्र लाल्या उर्फ लालू, के.का. जयपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 01 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 30.05.2015 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 18.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी संख्या 111/2016 अंतर्गत धारा 11 (2) (क) दर्ज करवाई गई। बंदी को दिनांक 12.09.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवन्दना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मीनू पुत्र लाल्या उर्फ लालू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

103. सरफराज मोहम्मद पुत्र इशाक मोहम्मद, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान बंदी के आवास में चरस व स्मैक बरामद होने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व में एफ.आई.आर. संख्या 325/2017 अंतर्गत धारा 8/20, 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाया जाने पर बंदी को अंतर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस.एक्ट में गिरफ्तार कर उसे दिनांक 04.05.2017 को जेल दाखिल कराया गया।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 19 जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर जयपुर के एफ.आई.आर. संख्या 325/2017 अंतर्गत धारा 8/21, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में विचाराधीन है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सरफराज मोहम्मद पुत्र इशाक मोहम्मद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

104. राजकुमार पुत्र कुंवर सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 13 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.) धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2006 अंतर्गत धारा 148, 302/149, 395, 396 आई.पी.सी. में दिनांक 03.06.2014 को आजीवन कारावास।
2. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 137ए/2005 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 05.11.2016 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय स्पे. जज गैंगस्टर एक्ट, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 269ए/2007 अंतर्गत धारा 2/3 उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दिनांक 09.11.2016 को 04 वर्ष 03 माह कठोर कारावास।
4. माननीय ए.डी.जे. संख्या 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 86ए/2007 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 31.01.2018 को 07 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय ए.डी.जे. संख्या 09, आगरा (उ.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 69ए/2007 अंतर्गत धारा 307, 399, 401, 147, 148 आई.पी.सी. एवं 25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 31.01.2018 को 08 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को 394, 395, 396, 399 एवं 401 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा बंदी 07 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है तथा बंदी द्वारा डकैती, हत्या सहित डकैती जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार पुत्र कुंवर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

105. बापूलाल उर्फ पप्पू पुत्र कालू मीणा, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 11 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, बंदी खुला शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 07.12.2018 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर. संख्या 1295/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 11.12.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूलाल उर्फ पप्पू पुत्र कालू मीणा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

106. छज्जू पुत्र हसमल, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 11 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डिस्पेंसरी, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर ने बंदी को टी.बी. रोग से ग्रसित बताया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छज्जू पुत्र हसमल** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के टी.बी. रोग का उपचार पूर्ण होने/ठीक होने पर खुला बंदी शिविर प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

107. सवाई खां पुत्र फौजु खां, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 11 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 56/2009 अंतर्गत धारा 302, 307/34, 353 आई.पी.सी. व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 30.07.2011 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नावां शहर (नागौर) द्वारा प्रकरण संख्या 188/2010 अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. में दिनांक 27.03.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रतनगढ़ (चूरू) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 01/2010 अंतर्गत धारा 307/34, 353 आई.पी.सी. व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 20.07.2018 को 07 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 02, नागौर के प्रकरण संख्या 51/2009 अंतर्गत धारा 302, 201, 365, 397 आई.पी.सी. में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सवाई खां पुत्र फौजु ख** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

108. विजयपाल उर्फ लवली पुत्र महेन्द्र सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 10 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के आदेशानुसार 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.10.2017 को रिहा कर दिनांक 14.11.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 540/2017 अंतर्गत धारा 58 क, 58 ख दर्ज कराई गई। बंदी को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, गुरूग्राम (हरियाणा) में दाखिल कराया गया, तत्पश्चात् दिनांक 27.09.2019 को केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर पर दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करे।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजयपाल उर्फ लवली पुत्र महेन्द्र सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

109. आबिद पुत्र ईमरत, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 08 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के आदेशानुसार 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 17.02.2016 को रिहा कर दिनांक 07.03.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 22.03.2016 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोग से होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आबिद पुत्र ईमरत** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

110. राजू उर्फ रजुआ पुत्र रामफल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 05 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी सजावधि वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है।

बंदी लाचार होने से राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ रजुआ पुत्र रामफल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

111. भोदर पुत्र कलजी, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भेड़ ऊन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.09.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। बंदी दिनांक 19.09.2018 को खुला बंदी शिविर पर स्वयं उपस्थित हुआ, जिसे जेल दाखिल कर लिया गया।

बंदी के खुला बंदी शिविर से फरार होने पर अधीक्षक जेल ने बंदी को दिनांक 19.09.2018 को 07 दिवस परिहार जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भोदर पुत्र कलजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

112. हीरादास पुत्र श्रीराम, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 03 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पत्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी ने नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरादास पुत्र श्रीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

113. सांवलाराम पुत्र सुरजनराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 01 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 29.03.2018 को कृषि अनुसंधान केन्द्र, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल बीकानेर एवं प्रभारी बंदी खुला शिविर द्वारा प्रस्तुत शिकायत अनुसर बंदी के फार्म पर निरंतर अनुपस्थित रहना व फार्म में आवंटित कार्य करने से मना करने, फार्म के अधिकारियों से गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने पर बंदी को जेल दाखिल कराया गया था।

अधीक्षक जेल ने उक्त घटना को ध्यान में रखते हुए बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सांवलाराम पुत्र सुरजनराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

114. राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 12 वर्ष 01 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 02.01.2018 को प्रात:काल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ. आई.आर.संख्या 786/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करायी गई। बंदी को पुलिस थाना सांगानेर द्वारा दिनांक 05.01.2018 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी दिनांक 24.01.2018 से दिनांक 16.07.2018 तक एवं दिनांक 02.11.2018 से दिनांक 31.12.2019 तक निरंतर जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा है, के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) (ख) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

115. हररूप पुत्र टीकम, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 09 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करे। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हररूप पुत्र टीकम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने क निर्णय लिया गया।

116. भैरू सिंह पुत्र रमसल्ली, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 09 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी दिनांक 25.09.2010 को गार्ड कस्टडी के दौरान फरार हो गया था, जिसे दिनांक 18.06.2013 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया था इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.एस.जे. क्रम संख्या 02, हिण्डौन सिटी, जिला करौली के प्रकरण संख्या 43/2016 (85/2013) अंतर्गत धारा 307, 332, 353 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन भी है, इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है।

अतः समिति द्वारा बंदी की आपराधिक प्रवृति एवं संलिप्तता को ध्यान मे रखते हुये **बंदी भैरूसिंह पुत्र रमसल्ली को** खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

117. बिशन सिंह पुत्र सवाई सिंह, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर पर सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.10.2018 को खुला बंदी शिविर में नियमों की पालना नहीं करने एवं कदाचार करने के कारण जेल दाखिल किया गया था।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी भैरूसिंह पुत्र रमसल्ली को** खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

118. धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र कान्तिलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नं. 03, उदयपुर कैम्प, सलूम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2011 अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. में दिनांक 30.03.2012 को 07 वर्ष कठोर कारावास
2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नं. 03, उदयपुर कैम्प, सलूम्बर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2011 अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. में दिनांक 31.07.2012 को 07 वर्ष कठोर कारावास
3. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर (उदयपुर) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 76/2012 अंतर्गत धारा 224, 333 आई.पी.सी. में दिनांक 30.06.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, सलूम्बर (उदयपुर) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 36/2012 अंतर्गत धारा 304पार्ट-1, 398 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 04.07.2015 को 10 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को 04 प्रकरणों में क्रमशः 07 वर्ष कठोर कारावास, 07 वर्ष कठोर कारावास, 05 वर्ष कठोर कारावास व 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी के प्रथम प्रकरण की सजा पूर्ण हो चुकी है तथा द्वितीय प्रकरण में 04 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार भुगती है, दोनों प्रकरणों में बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा भुगत लेने से पात्र है, परंतु बंदी द्वारा प्रथम प्रकरण की सजा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय प्रकरण की सजा दिनांक 14.05.2017 से प्रारम्भ की गई है, जिसमें बंदी 04 वर्ष 08 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार भुगती है, जो 06 वर्ष 08 माह से कम है। उक्त के अतिरिक्त बंदी अंतर्गत धारा 392, 224 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दण्डित है।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) व (ग) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित होने एवं प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र कान्तिलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

119. कैलाश पुत्र मोहन राम, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 07 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश डीडवाना (नागौर) द्वारा प्रकरण संख्या 19/2009 अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ), 363 आई.पी.सी. में दिनांक 15.06.2011 को आजीवन कारावास। (प्रभावी दिनांक 26.07.2011)
2. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, सुजानगढ़ चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 11/11 अंतर्गत धारा 363, 324 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2012 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 308/11 अंतर्गत धारा 224 आई. पी.सी. एवं लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1983 की धारा 03 में दिनांक 08.06.2015 को 02 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है एवं दिनांक 15.06.2011 की मध्यरात्रि करीब 1.30 बजे जेल के सरिये काटकर फरार हो गया था जिसे दिनांक 26.07.2011 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) एवं (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र मोहन राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

120. अजीत पुत्र शिवलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 07 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 10 प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 274/2001 अंतर्गत धारा 3/25 (1-बी) आर्म्स एक्ट में दिनांक 09.05.2002 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, भिवानी (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 217/2000 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 09.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 656/2001 अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 26.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 96/2002 अंतर्गत धारा 323, 506 आई.पी.सी. में दिनांक 07.08.2002 को भुगती सजा से दण्डित।
5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 750/2001 अंतर्गत धारा 323, 506, 34 आई.पी.सी. में दिनांक 12.08.2002 को भुगती सजा से दण्डित।
6. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, भिवानी (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 127/2001 अंतर्गत धारा 392, 397, 34 आई.पी.सी. में दिनांक 14.08.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
7. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) भिवानी (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 178/2001 अंतर्गत धारा 392, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 09.09.2002 को 07 वर्ष कठोर कारावास।
8. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 76/2001 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में दिनांक 17.03.2013 को आजीवन कारावास।
9. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 768/2000 अंतर्गत धारा 379, 468, 471, 420 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2009 को भुगती सजा से दण्डित।
10. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार (हरियाणा) द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 401/2006 अंतर्गत धारा 329 आई.पी.सी. में दिनांक 09.07.2002 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी मनोरोगी भी है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) (च) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीत पुत्र शिवलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

121. पिन्टू उर्फ दिलीप पुत्र ताराचंद, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 06 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 38/2012 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी में दिनांक 20.12.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रूपवास (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 961/2011 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. में दिनांक 18.09.2014 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रूपवास (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 964/2011 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दिनांक 18.09.2014 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, रूपवास (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 281/2006 अंतर्गत धारा 379 आई. पी.सी. व 3 पीडीपीपी एक्ट में दिनांक 18.09.2014 को 03 वर्ष कारावास।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, भरतपुर से दिनांक 08.07.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर में एफ.आई.आर. संख्या 411/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 28.07.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पिन्टू उर्फ दिलीप पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

122. हनीफ खां पुत्र गारू खां, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 05 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

बंदी को 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल पर दिनांक 12.05.2018 को रिहा कर दिनांक 20.06.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 151/2018 दर्ज करवाई गई। पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर बंदी को दिनांक 27.06.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हनीफ खां पुत्र गारू खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

123. दलजीतसिंह पुत्र दयालसिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 05 माह 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 27/1998 अंतर्गत धारा 135 कस्टम एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है जिसकी सजा दिनांक 03.11.2014 को समाप्त हो चुकी है तथा बंदी द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करा दी गई है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 37/1993 अंतर्गत धारा 8/21, 8/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। जिसकी सजा दिनांक 04.11.2014 से प्रभावी हुई है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजा के विरूद्ध लगभग 11 वर्ष 05 माह 16 दिवस की सजा ही भुगती है तथा बंदी की वर्तमान में आयु 44 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दलजीतसिंह पुत्र दयालसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

124. सुरेश पुत्र गंगाराम, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 05 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान 25.01.2019 को सायंकाल गिनती में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 37/2019 दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 15.03.2019 को गिरफ्तार कर पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा जेल दाखिल कराया गया है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

अधीक्षक जेल ने बंदी के खुला बंदी शिविर से फरार होने के कारण दिनांक 18.03.2019 को 07 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश पुत्र गंगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

125. अजीत पुत्र रामकुमार, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 05 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 17.04.2018 को कारागृह के वार्ड नं. 03 की बैरिक 09 की सघन तलाशी के दौरान बंदी से छिपाया हुआ नोकिया का फोन मय सिम बरामद किया गया, जिस पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 23.04.2018 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 08.01.2015 को रिहा कर दिनांक 27.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं हुआ और पैरोल से फरार हो गया। बंदी अन्य प्रकरण में गिरफ्तार होकर दिनांक 23.06.2015 को तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में दाखिल हुआ।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणत्या एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सैशन न्यायाधीश, चूरू के एफ.आई.आर. संख्या 42/2015 अंतर्गत धारा 395, 365 आई.पी.सी. एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के एफ.आई.आर. संख्या 433/2018 अंतर्गत धारा 302, 307, 109, 120बी आई.पी.सी. व 27 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अजीत कुमार पुत्र रामकुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

126. विजय सिंह पुत्र हल्के उर्फ रामचरण, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 04 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक 03 निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 118/2001 अंतर्गत धारा 148, 302/149 आई. पी.सी. में दिनांक 10.07.2002 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 629/2001 अंतर्गत धारा 323, 387 आई.पी.सी. में दिनांक 09.10.2003 को 01 माह साधारण कारावास।

3. माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 1061/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 28.03.2019 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को 15 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 26.04.2007 को रिहा कर दिनांक 10.05.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 15.08.2016 को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, करौली से जेल दाखिल कराया गया। बंदी 09 वर्ष 03 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी 07 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी द्वारा जेल नियमों की पालना न कर पैरोल से फरार होने व अपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय सिंह पुत्र हल्के उर्फ रामचरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

127. बाबूलाल पुत्र काना, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 03 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर बंदी को खुला बंदी शिविर, बीछवाल पर भेजा गया था, किंतु बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबूलाल पुत्र काना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

128. विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 02 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। पूर्व में बंदी को खुला बंदी शिविर में उसके परिजनों द्वारा उसकी देखभाल करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया था, बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बंदी को खुला बंदी शिविर से दिनांक 10.10.2018 को पुनः जेल दाखिल किया गया था। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

129. देवा पुत्र भीमा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 01 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 29.05.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 27.06.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सलूम्बर जिला उदयपुर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 27.08.2018 को जेल दाखिल कराया गया है। बंदी 09 वर्ष 02 माह पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। तत्पश्चात् बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवा पुत्र भीमा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

130. प्रकाश पुत्र कानाराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 01 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को प्रतिबंधित धारा 397/34 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 29.03.2019 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 27.04.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 114/2019 अंतर्गत धारा 11 (2) (ख) राजस्थान कारागार अधिनियम, 2015 में दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना बीछवाल (बीकानेर) द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 03.05.2019 को जेल दाखिल कराया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रकाश पुत्र कानाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

131. **जगदीश पुत्र धर्मपाल, के.का. बीकानेर** :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 01 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 48/2015 अंतर्गत धारा 302/34, 397/34 आई.पी.सी. में दिनांक 01.06.2017 को आजीवन कारावास।
2. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 457/2008 अंतर्गत धारा 411 आई.पी.सी. में दिनांक 01.08.2015 (अपील वारण्ट प्राप्त 21.11.2017) को 02 वर्ष साधारण कारावास।
3. माननीय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट) बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 195/2018 अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम में दिनांक 25.11.2019 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को अंतर्गत धारा 397/34 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

बंदी के बाद पेशी जेल दाखिल होने के दौरान दिनांक 19.06.2018 को गेट तलाशी में बंदी से एक चार्जर व 01 सिम बरामद किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 19.06.2018 को 07 दिवस मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसकी वर्तमान में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

बंदी के 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है. के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र धर्मपाल** को खुला बंदी *शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।*

132. श्रीकान्त पुत्र बालचंद उर्फ वेलचंद, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 01 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 02.07.2019 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 165/2019 दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर माननीय ए.सी. जे.एम. (पीसीपीएनडीटी) बीकानेर के समक्ष उपस्थित करने पर बंदी को दिनांक 05.07.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी दिनांक 02.07.2019 से 04.07.2019 तक कुल 03 दिवस फरार रहा है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किय गया है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रीकान्त पुत्र बालचंद उर्फ वेलचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

133. श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 01 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. में (प्रतिबंधित धारा) 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

पूर्व में बंदी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 22.03.2010 से दिनांक 01.04.2010 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 07.06.2010 को पुनः जिला कारागृह, चूरू में दाखिल कराया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 06.12.2014 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 04.01.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 151/2015 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना सरदारशहर चूरू द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 456/2018 में गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.2018 को जिला कारागृह, चूरू में दाखिल कराया गया। बंदी 03 वर्ष 09 माह 18 दिवस पैरोल से फरार रहा है तथा बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

134. ठाकुर सिंह पुत्र जवाहर सिंह, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 01 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 64 वर्ष होने व लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र

नहीं हैं, अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा बंदी की देखभाल, भरण-पोषण हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है, किंतु बंदी के प्रकरण के साथ कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

पूर्व में वर्ष 2018 में बंदी को उसके परिजनों द्वारा देखभाल, भरण-पोषण हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर खुला बंदी शिविर में भेजा गया था, किंतु बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे बंदी को पुनः जेल दाखिल किया गया।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ठाकुर सिंह पुत्र जवाहर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

135. दुल्ला सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 04 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2009 अंतर्गत धारा 302/34, 307/34, 324/34, 326/34, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 16.09.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.एस.जे. मुक्तसर साहिब द्वारा प्रकरण संख्या 117/2008 अंतर्गत धारा 307, 392, 324, 186, 353, 332, 427, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 23.04.2014 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं जे.एम. संख्या 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्य 87ए/2000 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 29.04.2015 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के एफ.आई.आर. संख्या 72/2008 अंतर्गत धारा 302, 341, 323/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुल्ला सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनामसिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

136. शक्तिसिंह पुत्र हिम्मतसिंह, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 11 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 12.07.2006 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 10.08.2006 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमंद द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 16.02.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 10 वर्ष 06 माह 06 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शक्तिसिंह पुत्र हिम्मतसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

137. शिवकुमार उर्फ शिब्बो पुत्र रणधीर सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 11 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 09.04.2015 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, जैतसर में एफ. आई.आर. संख्या 83/2015 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 26.06.2019 को गिरफ्तार कर उप कारागृह, सूरतगढ़ में दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण की सजा समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवकुमार उर्फ शिब्बो पुत्र रणधीर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

138. प्रेमसिंह पुत्र दौलत सिंह, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 10 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल पर दिनांक 07.04.2018 को रिहा कर दिनांक 16.05.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर की अपील संख्या 745/2013 प्रेमसिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 06.03.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण की सजा समाप्त हो चुकी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रेमसिंह पुत्र दौलत सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

139. कोमल सिंह पुत्र राम सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 10 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 29.10.2019 को अन्य बंदी सुखदेव सिंह उर्फ सुखा पुत्र दलीप के साथ शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा किये जाने से बंदी सुखदेव के पैर व पीठ पर चोटें आई, जिससे बंदी की दिनांक 29.10.2019 को कदाचार के कारण जेल दाखिल किया गया तथा बंदी सुखदेव की मृत्यु हो गई। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 343/2019 अंतर्गत धारा 302 आई.पी. सी. में दर्ज कराई गई। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी उक्त हत्या के प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कोमल सिंह पुत्र राम सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

140. नेतराम उर्फ धोलूराम पुत्र आदराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 10 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नेतराम उर्फ धोलूराम पुत्र आदराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

141. राजू उर्फ राजाराम पुत्र वरदाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 10 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी खुला बंदी शिविर, बीछवाल में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.01.2019 को सांयकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 33/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर ए.सी.जे.एम. (पीसीपीएनडीटी एक्ट) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.06.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ राजाराम पुत्र वरदाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

142. उमेश कुमार पुत्र रामभरोसी, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 09 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने व कार्य नहीं करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी दी गई कि वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करें।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी उमेश कुमार पुत्र रामभरोसी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

143. सुनील पुत्र घासीराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 09 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 03.05.2011 को 20 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 22.05.2011 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को बाद फरारी पुलिस थाना बीछवाल द्वारा गिरफ्तार कर श्रीमान् विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या *151/2015 पुलिस थाना बीछवाल द्वारा अंतर्गत धारा 11 (2) ख राजस्थान बंदी अधिनियम* में जे.सी. वारंट सहित दिनांक 16.08.2017 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 02 माह 25 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

दिनांक 05.05.2018 को तलाशी के दौरान बंदी से नोकिया फोन बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा उसे दिनांक 07.05.2018 को एक माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के प्रकरण संख्या 153/2018 अंतर्गत धारा 344 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

144. योगेश कुमार पुत्र बेनूराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 09 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.06.2017 को रिहा कर दिनांक 29.06.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 15.08.2017 को पुलिस थाना घानमण्डी उदयपुर द्वारा गिरफ्तार कर पुन: जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, उदयपुर के प्रकरण संख्या 83/2017 अंतर्गत धारा 381 आई.पी.सी. में विचाराधीन (जमानत पर) भी हैं।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी योगेश पुत्र बेनूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

145. शंकरलाल पुत्र उदयलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 09 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

दिनांक 14.11.2018 को जबरन अपने वार्ड से अपने केसवार बंदी नवाब खां के साथ निकलने का प्रयास करने, ड्यूटी स्टाफ द्वारा रोकने पर बंदी के अन्य बंदियों को भड़काने, स्टाफ को धमकी देने एवं गाली-गलौच करने पर अधीक्षक जेल द्वारा उसे दिनांक 14.11.2018 को 04 दिवस का अर्जित परिहार समपहरण किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 07 कोटा के प्रकरण संख्या 4000/2016 अंतर्गत धारा 332, 353, 506/34 आई.पी.सी. में विचाराधीन (जमानत पर) भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र उदयलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

146. सिराज अहमद उर्फ नसीरूद्धीन पुत्र रहीम बक्स उर्फ बोदू खां, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 07 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 11.09.2001 को 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 20.10.2001 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे दिनांक 13.10.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना लालकोठी जयपुर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 16 वर्ष 11 माह 23 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 376 व 377 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत साधारणतया

एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 06, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 134/2007 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी व 38 ख (1) राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम में विचाराधीन है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सिराज अहमद उर्फ नसीरूद्धीन पुत्र रहीम बक्स उर्फ बोदू खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

147. सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचंद, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 07 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

बंदी द्वारा बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है, बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुये बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

148. जितेन्द्रसिंह पुत्र गोपाल राम, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 06 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को दिनांक 08.02.2018 से 19.03.2018 तक 40 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सिविल लाईन्स, अजमेर में एफ.आई.आर. संख्या 110/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को थानाधिकारी पुलिस थाना सिविल लाईन्स,

अजमेर द्वारा दिनांक 08.06.2018 को गिरफ्तार कर माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3 के प्रकरण संख्या 110/2018 अंतर्गत धारा 58 (बी) राज. कारागार अधिनियम में जेल दाखिल कराया गया।

बंदी के पैरोल से फरार होने के कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 08.06.2018 को 02 माह तक रेमीशन सिस्टम से पृथक् रखने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी 02 वर्ष की अवधि वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का कार्य व आचरण संतोषप्रद नहीं होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जितेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

149. मुस्तफा पुत्र महबूब खां, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 06 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (2) (ड), 392, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा गैंगरेप, गर्भवती महिला से बलात्कार, राजमार्ग पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच के समय लूट एवं लूट के दौरान घातक आयुध का उपयोग कर किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे खुला बंदी शिविर में भेजा जान उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुस्तफा पुत्र महबूब खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

150. शिवलाल पुत्र प्यारा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 06 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 16.09.2014 को रिहा कर दिनांक 05.10.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। दिनांक 25.12.2016 को पुलिस थाना सूरजपोल उदयपुर द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 02 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.डी.जे. प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 62/2016 अंतर्गत धारा 147, 341, 323, 307, 384, 458 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवलाल पुत्र प्यारा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

151. मोहन सिंह उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 06 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशों की पालना में बंदी को दिनांक 17.07.2018 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 05.08.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 185/2018 अंतर्गत धारा 58 (ख) (2) राजस्थान बंदी अधिनियम के तहत दर्ज करायी गई, बंदी को बाद फरारी श्रीमान् महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 09 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 620/2018 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस थाना करधनी द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.08.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 9, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्य 1149 (एफ.आई. आर. संख्या 620/2018) अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना, करधनी तथा माननीय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9, जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 179 (एफ.आई.आर. संख्या 185/2018) अंतर्गत धारा 58 ख (2) पुलिस थाना, लाल कोठी में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन सिंह उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

152. बालचंद पुत्र श्री हीरालाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 31.10.2007 को रिहा कर दिनांक 19.11.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे जिला कारागृह, झालावाड़ से प्राप्त होने पर दिनांक 29.12.2016 को पुनः जेल दाखिल कराय गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पूर्व में पैरोल से फरार होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.सी.एम.एम. (सी.बी.आई.) जोधपुर महानगर के प्रकरण संख्या 369/2018 में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बालचंद पुत्र हीरालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

153. दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 04 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 एवं 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत

खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.डी.जे. संख्या 18, आगरा के एस.एस.टी. नं. 106/2004 पुलिस थाना, जगनेर अंतर्गत धारा 392/411 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

154. कुलदीप पुत्र बलदेव सिंह, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 54/2010 अंतर्गत धारा 332, 353, 336/34, 307/34, 302/34 आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2012 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी द्वारा प्रकरण संख्या 800/2010 अंतर्गत धारा 120 (ख), 452, 392 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2013 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, झुंझुनूं शिविर, चिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2011 अंतर्गत धारा 397, 394, 452, 427, 120बी आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 23.08.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण संख्या 505ए/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 228, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 30.10.2014 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी भी है, इस प्रकार बंदी के 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित होने व मानसिक रोगी होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कुलदीप पुत्र बलदेव सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

155. मोहम्मद युसुफ पुत्र सईदुल्लाह खान उर्फ लाडू, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 23.04.2019 को 40 दिवस चतुर्थ नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 01.06.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी को दिनांक 28.07.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद युसुफ पुत्र सईदुल्लाह खान उर्फ लाडू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

156. सुभाष पुत्र दौलतराम, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को दो से अधिक निम्नांकित 06 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 13/2006 अंतर्गत धारा 380, 457 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 574/1998 अंतर्गत धारा 379, 447 आई.पी.सी. में दिनांक 16.01.2006 को 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 240/2006 अंतर्गत धारा 394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 05.03.2008 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा द्वारा प्रकरण संख्या 346/2002 अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में दिनांक 08.04.2006 को 03 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, भादरा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2006 अंतर्गत धारा 302, 397, 460 आई.पी.सी. में दिनांक 22.12.2008 को मृत्युदण्ड (अपील में आजीवन कारावास) प्रभावी 06.05.2013
6. माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 176/2014 अंतर्गत धारा 332, 353, 147 आई.पी.सी. में दिनांक 13.03.2015 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी को दिनांक 03.01.2018 को 30 दिवस सामान्य पैरोल पर रिहा कर दिनांक 01.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 84/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी के दिनांक 02.02.2018 को स्वयं उपस्थित होने पर जेल दाखिल किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी को चोरी, हत्या व राजकार्य में बाधा के प्रकरणों में दण्डित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुभाष पुत्र दौलतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

157. मिखेल भुईया उर्फ राजू टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा अपहरण, बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उसे बंदी खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मिखेल भुईया उर्फ राजू टॉन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

158. नरेन्द्र उर्फ मुकेश उर्फ भूरा पुत्र ब्रह्मसिंह, के.का. बीकानेर:- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

अधीक्षक जेल ने बंदी के जेलर श्री भारतभूषण भट्ट की हत्या करने के कारण बंदी को खुल बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। साथ ही बंदी को सेशन प्रकरण संख्या 24/2012 में आजीवन कारावास की सजा, जिसमें बंदी पूर्ण जीवनकाल तक जेल में रहेगा, से दण्ड़ित किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नरेन्द्र उर्फ मुकेश उर्फ भूरा पुत्र ब्रह्मसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

159. रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल, जि.का. झालावाड़ :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को निम्नांकित 03 प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय विशेष न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 26/2005 अंतर्गत धारा 3/18 एन.डी.पी. एस.एक्ट में दिनांक 18.06.2007 को 05 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 44/2007 अंतर्गत धारा 8/18, 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 20.02.2009 को 11 वर्ष कठोर कारावास।
3. श्रीमान् ए.सी.जे.एम. अकलेरा (झालावाड़) द्वारा प्रकरण संख्या 180/2004 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.12.2010 को 01 वर्ष कारावास।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

160. शंकरलाल पुत्र गांगजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, जैतसर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 10.10.2018 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। जिस पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना जैतसर में एफ.आई.आर. संख्या 273/2018 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना जैतसर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 05.11.2018 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी भी है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र गांगजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

161. रतन पुत्र पोखर लाल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत

खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए **बंदी रतनलाल पुत्र पोखरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

162. मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 03 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक से विचार किया जा चुका है।

163. बापूनाथ पुत्र कालूनाथ उर्फ रामनाथ, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 02 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षक, जेल ने बताया है कि बंदी जिला कारागृह से भी विचाराधीन है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूनाथ पुत्र कालूनाथ उर्फ रामनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

164. राजू उर्फ दीपक पुत्र बैजनाथ, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 02 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षक जेल ने बताया है कि बंदी उप कारागृह, बांदीकुंई से भी अन्य प्रकरण में विचाराधीन है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ दीपक पुत्र बैजनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

165. पवन पुत्र कुंवरपाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 3 सीकर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 96/2010 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. क्रम 01 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या 285/2008 अंतर्गत धारा 365, 368, 374, 506 आई.पी.सी. (इस प्रकरण में बंदी जमानत पर है)।

अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पवन पुत्र कुंवरपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

166. सुजान पुत्र अमरलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 02 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 19.08.2007 को रिहा कर दिनांक 07.09.2007 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे

दिनांक 03.08.2016 को पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा गिरफ्तार कर पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी लगभग 09 वर्ष पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला बंदी शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुजान पुत्र अमरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

167. बबलू उर्फ बलवीर उर्फ रूपसिंह पुत्र भरती उर्फ भरतलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 01 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 397/34 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित है, जिसकी मूल सजा वर्तमान में समाप्त हो चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय जे.एम. नं. 01, गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 232/2009 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं माननीय जे.एम. नं. 01, गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 112/2013 अंतर्गत धारा 411 आई.पी.सी. में (जमानत पर) विचाराधीन भी है।

अतः बंदी की आपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बबलू उर्फ बलवीर उर्फ रूपसिंह पुत्र भरती उर्फ भरतलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

168. आनन्द सोनी पुत्र सुखराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 10 वर्ष 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी की आयु 31 वर्ष है।

अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आनन्द सोनी पुत्र सुखराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

169. गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 11 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 22.07.2009 को रिहा कर दिनांक 10.08.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.06.2016 को पुनः जेल दाखिल कराया गया। बंदी 06 वर्ष 10 माह 20 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के पैरोल से फरार होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण संख्या 76/2010 (198/2011) (जमानत पर) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

170. गिर्राज बैरवा पुत्र रामकिशन, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 11 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गिर्राज बैरवा पुत्र रामकिशन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

171. अशोक कुमार पुत्र अमरलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 10 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है तथा बंदी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संगरूर (पंजाब) के प्रकरण संख्या 61/1997 अंतर्गत धारा 18/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार पुत्र अमरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

172. अमित कुमार जोशी पुत्र कैलाश चन्द जोशी, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अमित कुमार जोशी पुत्र कैलाश चन्द जोशी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

173. कैलाश थाकण पुत्र अमरचंद, के.का. अजमेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 09 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी भंवर सिनोदिया हत्याकाण्ड में दण्डित है। अतः तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश थाकण पुत्र अमरचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

174. विनीत उर्फ टिंकू पुत्र रोड़ीलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 09 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.12.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनीत उर्फ टिंकू पुत्र रोड़ीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

175. छोटू सिंह पुत्र मेहताब, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03, अजमेर के प्रकरण संख्या 108/2017 अंतर्गत धारा 307, 323 आई.पी.सी. पुलिस थाना, सिविल लाईन्स, अजमेर में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छोटूसिंह पुत्र मेहताब** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

176. राकेश शर्मा पुत्र जगदीश चन्द्र, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा नय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, नरसिंहपुरा (श्रीगंगानगर) में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 17.09.2019 को सांयकल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना,

घमुड़वाली (श्रीगंगानगर) में एफ.आई.आर. संख्या 148/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को पुलिस थाना, घमुड़वाली (श्रीगंगानगर) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 19.09.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में (जमानत पर) विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश शर्मा पुत्र जगदीश चन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

177. सलीम खां पुत्र अल्लादीन खां, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 07 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सलीम खां पुत्र अल्लादीन खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

178. कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 07 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 04.04.2013 को रिहा कर दिनांक 23.04.2013 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे थानाधिकारी, पुलिस थाना सिविल लाईन्स, अजमेर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 30.06.2017 को पुनः जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। फरारी के उपरांत बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल** को खुला बंदी बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

179. अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 07 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

180. रामगोपाल पुत्र नाथूलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 07 माह 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट केसेज, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 165/2010 (176/2010) अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 35 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामगोपाल पुत्र नाथूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

181. किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 16/2011 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 05.06.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय जे.एम. राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 460/2013 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2013 को 02 वर्ष कारावास।
3. माननीय जे.एम. राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 200/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दिनांक 02.06.2017 को 01 माह कारावास।

पूर्व में बंदी विचाराधीन अवधि के दौरान 02 बार पुलिस अभिरक्षा से दिनांक 19.03.2013 एवं 09.11.2013 को फरार हो गया था।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

182. देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शम्भूदयाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 06 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 18, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2012 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 29.06.2013 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 438/2013 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 06 माह साधारण कारावास।
3. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 402/2013 अंतर्गत धारा 379/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 10 माह साधारण कारावास।

4. माननीय अ्पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 401/2013 अंतर्गत धारा 379/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 10 माह साधारण कारावास।

5. माननीय अ्पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 400/2013 अंतर्गत धारा 379/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.05.2014 को 10 माह साधारण कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित है तथा वर्तमान में बंदी मानसिक रोगी है, के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) व (झ) के तहत साधारणतया एवं 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी माननीय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 26, जयपुर महानगर (सांगानेर) के एफ.आई.आर. संख्या 31/2009 पुलिस थाना, सांगानेर सदर अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शम्भूदयाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

183. अरूण कुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 05 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 13 , 18, 18 बी, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के तहत 14 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों के लिये धन इकट्ठा कर, आपराधिक गतिविधियों के लिए षड्यंत्र रचना, आतंकी गतिविधियों के लिए सदस्य बनाना जैसा देश विरोधी कृत्य कारित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अरूण कुमार जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

184. हीरालाल पुत्र रामलाल उर्फ श्याम लाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 05 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने व शारीरिक रूप से दोनों पैरों से विकलांग होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरालाल पुत्र रामलाल उर्फ श्याम लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

185. अल्ली उर्फ अली मोहम्मद पुत्र रूद्दार, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 05 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 27.11.2014 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 16.12.2014 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 17/2016 दर्ज करवायी गई। बंदी को दिनांक 15.08.2017 को पुन: गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 07 माह 29 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने एवं आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गई।

उक्त के अतिरिक्त बंदी अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 03 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं

नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अल्ली उर्फ अली मोहम्मद पुत्र रूद्दार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

186. बाली पुत्र शिब्बी, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 04 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने एवं आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 03 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. कांमा के प्रकरण संख्या 1199/2013 प्र.सू.रि.संख्या 252/2002 पुलिस थाना कांमा, अंतर्गत धारा 16/54, 19/54 एक्साईज एक्ट में विचाराधीन भी (जमानत पर) है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाली पुत्र शिब्बी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

187. दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशन लाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य करित किया गया है, ऐसी स्थिति में बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना उचित नहीं है।

अतः बंदी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशन लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

188. किशनाराम पुत्र जयकिशन, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (एन.डी.पी.एस. कैसेज), सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 06/2010 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को 05 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 06.02.2018 को रिहा कर दिनांक 10.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। जिसे पुनः गिरफ्तार कर दिनांक 15.04.2018 को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर के प्रकरण संख्या 475/2003 (90/2018) में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशनाराम पुत्र जयकिशन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

189. रफीक पुत्र सरफुदीन, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 03 माह 13 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. कैसेज), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2007 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 40 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रफीक पुत्र सरफुदीन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

190. उम्मेदाराम पुत्र मंगलाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 03 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक से विचार किया जा चुका है।

191. लारा उर्फ ज्ञानसिंह पुत्र बाबूलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 03 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. नं. 03 के प्रकरण संख्या 58/2017 प्र.सू.रि.संख्या 552/2016 पुलिस थाना सेवर अंतर्गत धारा 8/30, 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट में विचाराधीन (जमानत पर) है। अधीक्षक जेल ने बताया है कि बंदी हार्डकोर अपराधी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लारा उर्फ ज्ञानसिंह पुत्र बाबूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

192. मेघा पुत्र वीरजी, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 79 वर्ष होने व लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अधीक्षक जेल ने बंदी के लाचार होने से परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है, किंतु बंदी के प्रकरण में शपथ-पत्र प्रेषित नहीं किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मेघा पुत्र वीरजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

193. शानी उर्फ नियामत पुत्र लियाकत अली, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 02 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी किये गये अपराध में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम 01 कोटा द्वारा मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है तथा मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि वह नियमित रूप से जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करे। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा के प्रकरण संख्या 250/2008 में विचाराधीन (जमानत पर) है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शानी उर्फ नियामत पुत्र लियाकत अली** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

194. शिब्बाराम पुत्र बुद्धाराम, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिब्बाराम पुत्र बुद्धाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

195. रूपाराम पुत्र बुद्धाराम, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रूपाराम पुत्र बुद्धाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

196. मनोहर सिंह पुत्र मदन सिंह, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (एन.डी.पी.एस. कैसेज), सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 12/2010 अंतर्गत धारा 8/18 (25) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 387/2011, माननीय ए.सी.जे.एम. गंगापुर (भीलवाड़) के प्रकरण संख्या 88/1995 एवं एन.डी.पी.एस. कोर्ट बीकानेर के प्रकरण संख्या 223/2005 में विचाराधीन है।

अतः बंदी की अपराधिक संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनोहर सिंह पुत्र मदन सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

197. कन्हैयालाल पुत्र धनराज सोनी, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (एन.डी.पी.एस. कैसेज), सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 12/2010 अंतर्गत धारा 8/18 (25) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 44 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदी के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कन्हैयालाल पुत्र धनराज सोनी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

198. शंकर सिंह पुत्र नाथू सिंह, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकर सिंह पुत्र नाथू सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

199. दौलाराम पुत्र रामेश्वर, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.12.2019 को औपचारिक चेतावनी दी गई, अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दौलाराम पुत्र रामेश्वर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

200. मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (झ) व (ड) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास, जो शेष प्राकृत जीवनकाल तक प्रभावी रहेगा, से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

201. जोशनाथ पुत्र रामनाथजी, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में दी गई सजा पूर्ण हो चुकी है। पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 09.06.2015 को रिहा कर दिनांक 28.06.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे दिनांक 25.07.2017 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। बंदी 02 वर्ष 26 दिवस पैरोल से फरार रहा है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जोशनाथ पुत्र रामनाथजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

202. मोहम्मद अमीन पुत्र यासीन खां, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 01 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेशानुसार 07 दिवस आपात पैरोल पर दिनांक 20.02.2019 को रिहा कर दिनांक 26.02.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली (श्रीगंगानगर) में एफ.आई.आर. संख्या 59/2019 अंतर्गत धारा 227, 188, 120बी आई.पी.सी. दर्ज करवायी गई। जिसे पुलिस थाना कोतवाली (श्रीगंगानगर) द्वारा दिनांक 01.09.2019 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 02 बीकानेर के प्रकरण संख्या 33/2018 अंतर्गत धारा 323, 341, 308, 143 आई.पी.सी. व अन्य 10 प्रकरणों में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद अमीन पुत्र यासीन खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

203. गणेशाराम पुत्र चुन्नीलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय सी.एम.एम. जोधपुर के प्रकरण संख्या 1292/2016 में विचाराधीन है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गणेशाराम पुत्र चुन्नीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

204. विष्णुप्रकाश पुत्र छीतरमल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. केसेज, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 अंतर्गत धारा 8/20 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 26.09.2019 को औपचारिक चेतावनी दी गई, औपचारिक चेतावनी के उपरांत भी बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा पुनः दिनांक 17.12.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विष्णुप्रकाश पुत्र छीतरमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

205. **रामा उर्फ रामलाल पुत्र मोड़ूलाल, के.का. कोटा :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामा उर्फ रामलाल पुत्र मोड़ूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

206. **जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद, के.का. जोधपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 09 वर्ष 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 05.04.2017 को रिहा कर दिनांक 24.04.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया, जिसे उप कारागृह, बाली की तहरीर अनुसार दिनांक 17.03.2019 को माननीय ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 206/2012 पुलिस थाना सुमेरपुर द्वारा गिरफ्तार कर उप कारागृह, बाली में दाखिल कराया गया तथा उप कारागृह, बाली से बंदी को दिनांक 06.04.2019 को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर पर दाखिल कराया गया, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

207. **बंटी उर्फ बन्दीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखी, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

बंदी द्वारा 21 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह-भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 29 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बंटी उर्फ बन्दीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

208. विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक से विचार किया जा चुका है।

209. केसाभाई उर्फ रहीम भाई पुत्र मनाजी उर्फ अहमद भाई, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी केसाभाई उर्फ रहीम भाई पुत्र मनाजी उर्फ अहमद भाई** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

210. पानसिंह पुत्र शिवचरण, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 460/34 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी मूल सजा समाप्त हो चुकी है।

किंतु बंदी माननीय ए.डी.जे. संख्या 03 आगरा (उ.प्र.) के अ.स. 291/2008 पुलिस थाना कागारौल अंतर्गत धारा 307 आई.पी.सी. में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पानसिंह पुत्र शिवचरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

211. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र नाथूलाल, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के मानसिक रोग से ग्रसित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र नाथूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

212. महावीर पुत्र सूरज्या उर्फ सूरजमल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं भी किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महावीर पुत्र सूरज्या उर्फ सूरजमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

213. गुड्डूदास उर्फ गुड़िया पुत्र भीमदास, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 11 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, मण्डौर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 07.09.2019 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डौर में एफ. आई.आर. संख्या 318/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को माननीय एम.एम. संख्या 08 जोधपुर महानगर के आदेशानुसार बाद फरारी दिनांक 10.09.2019 को जेल दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी मानसिक रोगी है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नेयम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पत्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डूदास उर्फ गुड्डिया पुत्र भीमदास** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

214. सत्यवीर पुत्र रामकरण, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 1 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त सहायक उद्योगशाला पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि बंदी द्वारा जान-बूझकर दरी पट्टी को सफाई करते समय फाड़ा गया, के कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 11.06.2019 को बंदी का 05 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सत्यवीर पुत्र रामकरण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

215. **भोला उर्फ पप्पू पुत्र जयप्रकाश, के.का. बीकानेर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 10 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक से विचार किया जा चुका है।

216. **सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईड़ा, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 10 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 29.09.2016 को रिहा कर दिनांक 18.10.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 27.10.2016 को पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 335/2016 में पुनः जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। फरारी के उपरांत बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईडा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

217. **भंवरलाल पुत्र जींयाराम, के.का. जोधपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 10 माह 17 दिवस की सजा गय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में बंदी को 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल पर दिनांक 12.04.2016 को रिहा कर दिनांक 21.05.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को फरारी के पश्चात् दिनांक 03.06.2019 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 03 वर्ष 13 दिवस पैरोल से फरार रहा है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3

(ग) व (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। फरारी के उपरांत बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भंवरलाल पुत्र जींयाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

218. अशोक सिंह पुत्र जगदीश सिंह, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

अधीक्षक जेल ने बंदी के जेल उद्योगशाला में निर्धारित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक सिंह पुत्र जगदीश सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

219. अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धा.रा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अमित उर्फ छोटू पुत्र ताराचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

220. धन्ना पुत्र सोनाथ, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, मनासा जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 36/2010 अंतर्गत धारा 8/15 (ग) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण संख्या 125/2012 क्रिमिनल 276/2012 में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धन्ना पुत्र सोनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

221. पिकु कुमार पुत्र राजुदीन, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पिकु कुमार पुत्र राजुदीन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

222. रामधन पुत्र नाथूराम, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक से विचार किया जा चुका है।

223. रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी पेशी के दौरान दिनांक 19.02.2006 को पुलिस गार्ड अभिरक्षा से फरार हो गया, जिसे दिनांक 18.08.2016 को पुलिस थाना रठांजना द्वारा गिरफ्तार कर जिला कारागृह, प्रतापगढ़ में दाखिल कराया गया।

बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी को फरारी प्रकरण में माननीय ए.सी.जे.एम. छोटी सादड़ी द्वारा 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय सी.जे.एम. प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 166/2017 अंतर्गत धारा 42 कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

224. दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 328, 395, 396 व 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा दिनांक 14.02.2019 को रात्रि में ली गई वार्ड संख्या 02 की तलाशी में बंदी के पास चप्पल में छिपाया हुआ सैमसंग मोबाईल मय 02 सिम व 02 बैट्री बरामद की गई, के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 15.02.2019 को 07 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी द्वारा 31 वर्ष की आयु में षड्यंत्रपूर्वक डकैती एवं हत्या, गृह-भेदन जैसा जघन्य अपराध कारित किया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 38 वर्ष है, ऐसी स्थिति में बंदी के अपराध की प्रकृति व आयु को देखते हुये पुनः आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :-

(1) माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भटिण्डा पंजाब के एफ.आई.आर. संख्या 20/2016 अंतर्गत धारा 25-54-59ए, 120बी आई.पी.सी. ।
(2) माननीय अनु.न्यायालय दण्डाधिकारी, झंझारपुर, बिहार के प्रकरण संख्या 170/2011
(3) माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं ए.सी.जे.एम. लूणकरणसर के एफ.आई.आर. संख्या 12/2019 पुलिस थाना महाजन अंतर्गत धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट।
(4) माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट) बीकानेर के एफ.आई.आर. संख्या 56/2019 पुलिस थाना बीछवाल अंतर्गत धारा 42 कारागार अधिनियम।

अतः बंदी के अपराध की प्रकृति व संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

225. जगदीश पुत्र रामरतन, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 07 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 54/2011 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र रामरतन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

226. घनश्याम पुत्र शोभालाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 23 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अति.वि. न्यायालय, एन.डी.पी.एस. एक्ट, मंदसौर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2009 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी की वर्तमान में आयु 36 वर्ष है तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे पुनः इन गतिविधियों में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय एन.डी.पी.एस. एक्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या 266/2011 में विचाराधीन है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी घनश्याम पुत्र शोभालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

227. प्रविन्द्र पुत्र मूलचंद सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 54/2010 अंतर्गत धारा 332, 353, 336/34, 307/34, 302/34 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.04.2012 को आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी द्वारा प्रकरण संख्या 800/2010 अंतर्गत धारा 120बी, 452, 392 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2013 को 03 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01 झुंझुंनू कैम्प चिड़ावा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2011 अंतर्गत धारा 397, 394, 452, 427, 120बी आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 23.08.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
4. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुंनू द्वारा प्रकरण संख्या 505ए/2012 अंतर्गत धारा 332, 353, 228, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 30.10.2014 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार बंदी को प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 27.10.2016 को रिहा कर दिनांक 15.11.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर

दिनांक 23.04.2018 को जिला कारागृह, भिवानी में दाखिल कराया गया। बंदी 01 वर्ष 05 माह 08 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रविन्द्र पुत्र मूलचंद सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

228. कुकु पुत्र रणसिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कुकु पुत्र रणसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

229. कल्लू खां पुत्र शरीफ खां, जि.का. झालावाड़ :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 08 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कल्लू खां पुत्र शरीफ खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

230. प्रकाश पुत्र नाना जी, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 02 प्रकरणों में क्रमशः 02 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों प्रकरणों में बंदी द्वारा 08 वर्ष 08 माह 08 दिवस की सजा भुगत लेने से पात्र है, परंतु बंदी द्वारा प्रथम प्रकरण की सजा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय प्रकरण की सजा दिनांक 20.05.2017 से प्रारम्भ की गई है, जिसमें बंदी द्वारा 06 वर्ष 02 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, जो 06 वर्ष 08 माह से कम है। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ग) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है उक्त कारणों से अधीक्षक जेल द्वारा भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रकाश पुत्र नाना जी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

231. जगा पुत्र दोला, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगा पुत्र दोला** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

232. पीरू पुत्र धुरिया, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को माननीय ए.डी.जे. फास्ट ट्रेक, प्रतापगढ़ के आदेशानुसार 10 दिवस अंतरिम जमानत पर दिनांक 21.04.2006 को रिहा कर दिनांक 30.04.2006 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत

तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 25.03.2014 को जेल दाखिल कराया गया।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 24.10.2019 को तलाशी के दौरान बंदी द्वारा तलाशी का विरोध करने एवं तलाशीकर्ता अधिकारियों से अभद्रता करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 25.10.2019 को एक माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पीरू पुत्र धुरिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

233. रामा पुत्र बदिया, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 12.08.2015 को रिहा कर दिनांक 31.08.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर नियमित पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 324/2015 अंतर्गत धारा 11 (2) (ख) बंदी अधिनियम के तहत दर्ज करवायी गई। बंदी को पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 24.08.2017 को जेल दाखिल कराया गया।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (छ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (घ) के तहत

साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामा पुत्र बदिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

234. जगदीश पुत्र हरिंगाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 07 माह 27 दिवस की *सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।*

बंदी को माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, जैतारण जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या 46/2016 अंतर्गत धारा 8/15, 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र हरिंगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

235. ओमपाल सिंह पुत्र सुकमपाल सिंह, के.का. जयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 07 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओमपाल सिंह पुत्र सुकमपाल सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

236. सैयद मुज्जमिल हुसैन उर्फ टीपू पुत्र इनायत हुसैन, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 07 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 25 वर्ष से कम 22 वर्ष होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (ज) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सैयद मुज्जमिल हुसैन उर्फ टीपू पुत्र इनायत हुसैन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

237. बहादुर सिंह उर्फ पहलवान पुत्र रणजीत सिंह, उ.सु.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 07 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) 04, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 51/2008 अंतर्गत धारा 307/149, 333/149, 332/149, 353/2019, 148 आई.पी.सी. में दिनांक 05.04.2010 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2008 अंतर्गत धारा 323/34, 427, 365, 342, 504 आई.पी.सी. व 3 (1) (x) एस.सी./एस.टी. एक्ट में दिनांक 31.01.2012 को 04 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) 02, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 131/2011 अंतर्गत धारा 324, 341 आई.पी.सी. में दिनांक 09.05.2012 को 02 वर्ष साधारण कारावास।

उक्त के अतिरिक्त बंदी पेशी के दौरान चालानी गार्ड की अभिरक्षा से दिनांक 04.06.2014 को फरार हो गया। जिसे माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर के आदेशानुसार दिनांक 24.11.2016 को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर दाखिल कराया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है, साथ ही बंदी 10 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बहादुर सिंह उर्फ पहलवान पुत्र रणजीत सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

238. देवराज सिंह पुत्र मंगल सिंह, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 27 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2011 अंतर्गत धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार 10 दिवस अंतरिम जमानत पर दिनांक 15.02.2017 को रिहा कर दिनांक 24.02.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे केन्द्रीय कारागृह, उज्जैन (म.प्र.) के पत्र दिनांक 29.10.2017 द्वारा (दिनांक 29.10.2017 को) जेल दाखिल किया गया। वर्तमान में बंदी माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 07 कोटा के प्रकरण संख्या 94/2017 अंतर्गत धारा 58 (ख) कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015 में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 14.07.2019 को तलाशी के दौरान बंदी द्वारा तलाशी का विरोध करने, अन्य बंदियों को भड़काने का प्रयास किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को औपचारिक एवं अंतिम चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवराज सिंह पुत्र मंगल सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

239. पूरणमल पुत्र बगदीराम, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2014 अंतर्गत धारा 8/18, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

2 B

बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पूरणमल पुत्र बगदीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

240. अर्जुन गर्ग पुत्र शंकर लाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलात, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2008 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 05 जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 531/2003 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 03 माह कारावास से दण्डित किया गया है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 28.06.2016 को 15 दिवस आपात पैरोल पर रिहा कर दिनांक 12.07.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। माननीय सी.जे.एम. जोधपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 216/2016 दिनांक 12.01.2018 को फरारी उपरांत जे.सी.वारंट सहित पुलिस थाना रातानाड़ा जोधपुर द्वारा जेल दाखिल कराया गया। उक्त प्रकरण में बंदी जमानत पर है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते

हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। उक्त के अतिरिक्त बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अर्जुन गर्ग पुत्र शंकर लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

241. गोपालनाथ पुत्र होकमानाथ योगी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 36/2005 अंतर्गत धारा 8/18, 8/21, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा दी गई 20 वर्ष कठोर कारावास के विरूद्ध बंदी द्वारा आदिनांक लगभग 09 वर्ष की सजावधि भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोपालनाथ पुत्र होकमानाथ योगी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

242. रामनरेश पुत्र मिश्रीलाल, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामनरेश पुत्र मिश्रीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

243. महावीर पुत्र भंवरलाल, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, छबड़ा जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 239/2011 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महावीर पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

244. रमेश पुत्र किशनलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 23.04.1996 को 30 दिवस अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिनांक 22.05.1996 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर अंतरिम जमानत से फरार हो गया। जिसे दिनांक 31.08.2017 को पुनः गिरफ्तार कर उप कारागृह, गंगापुर सिटी में दाखिल कराया गया। बंदी 21 वर्ष से अधिक अवधि तक पैरोल से फरार रहा है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि वह नियमित जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश पुत्र किशनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

245. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अभयसिंह, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को दिनांक 19.12.2018 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 17.01.2019 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर नियमित पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 70/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी. सी. दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 20.03.2019 को पुलिस थाना कोतवाली अलवर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को पैरोल से फरार होने के कारण दिनांक 27.02.2019 को 25 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अभयसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

246. दोला पुत्र जीवा, के.का. उदयपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दोला पुत्र जीवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

247. प्रकाश पुत्र महादेवा, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को चेतावनी दी गई कि वह नियमित जेल उद्योगशाला में जाकर आवंटित कार्य पूर्ण करें।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रकाश पुत्र महादेवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

248. सन्नी उर्फ दिनेश पुत्र किशोर उर्फ लंगूर, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। बंदी द्वारा सजावधि के दौरान नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सन्नी उर्फ दिनेश पुत्र किशोर उर्फ लंगूर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

249. गोविन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र भैरूलाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, संख्या 01 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 21/2014 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोविन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र भैरूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

250. सुरेश पुत्र रामदयाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 05 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 20.09.2008 को रिहा कर दिनांक 09.10.2008 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर नियमित पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी, जयपुर शहर पूर्व में एफ.आई.आर. संख्या 147/2008 दर्ज कराई गई। बंदी को दिनांक 25.01.2019 को पुलिस थाना लालकोठी जयपुर शहर पूर्व द्वारा गिरफ्तार कर माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 6 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 369/2017 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण तथा उप कारागृह, हिण्डौन सिटी के अनुसार अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश पुत्र रामदयाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

251. देवेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र रणजीत सिंह चौधरी, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 05 माह 13 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 08 लखनऊ द्वारा प्रकरण संख्या 355/2011 अंतर्गत धारा 8/18 (बी) (2) (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र रणजीत सिंह चौधरी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

252. गजराज सिंह पुत्र कल्याण सिंह, जि.का. झालावाड़ :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 05 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है एवं बंदी को अंतर्गत धारा 376 (1) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजराज सिंह पुत्र कल्याण सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

253. विजय कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र जोगाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 04 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को आजीवन कारावास, जो शेष प्राकृत जीवनकाल के कारावास के समान होगा, से दण्डित किया गया है। अधीक्षक जेल ने बंदी को प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजय कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र जोगाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

254. श्याम सुन्दर उर्फ बृजसुन्दर पुत्र मोहनलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 04 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है एवं बंदी को अंतर्गत धारा 328, 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी श्याम सुन्दर उर्फ बृजसुन्दर पुत्र मोहनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

255. संदीप पारासर पुत्र सतीश चन्द्र, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 04 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी के बीमार होने पर उसे वरिष्ठ जेल चिकित्साधिकारी द्वारा उपचार हेतु पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर रैफर किये जाने पर बंदी को दिनांक 02.08.2016 को पुलिस गार्ड की अभिरक्षा में पी.बी.एम. चिकित्सालय,

बीकानेर पर भिजवाया गया था तथा वार्ड संख्या 02 में भर्ती होने के दौरान दिनांक 05.08.2016 को रात्रि में पुलिस गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सदर (बीकानेर) में एफ.आई.आर. संख्या 328/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। बंदी को माननीय रिमाण्ड मजिस्ट्रेट, हाथरस (उ.प्र.) के प्रकरण संख्या 627/2016 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जिला कारागृह, अलीगढ़ (उ.प्र.) में दिनांक 07.08.2016 को दाखिल कराया गया, जहां से पुलिस थाना बीछवाल (बीकानेर) द्वारा दिनांक 12.08.2016 को माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 02 बीकानेर के एफ.आई.आर. संख्या 328/2016 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संदीप पारासर पुत्र सतीश चन्द्र** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

256. रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 03 माह 28 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. नं. 02 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 270/2014 अंतर्गत धारा 8/18, 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 11 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रवि कुमार पुत्र अशोक कुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

257. हलधर पुत्र बरदुदास, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 03 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376/34 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। वर्तमान में बंदी की आयु 30 वर्ष है।

अतः बंदी द्वारा कारित कृत्य एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हलधर पुत्र बरदुदास** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

258. कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष C3 माह 14 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः बंदी उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कन्हैयालाल पुत्र गोविन्दलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

259. किरणपाल सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र मिठन सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजावधि के विरूद्ध आदिनांक लगभग 09 वर्ष की सजावधि ही भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किरणपाल सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र मिठन सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

260. सजल वर्मन पुत्र दिनेश वर्मन, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजावधि के विरूद्ध आदिनांक लगभग 09 वर्ष की सजावधि ही भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सजल वर्मन पुत्र दिनेश वर्मन** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

261. छीतर सिंह पुत्र फतेह सिंह, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 02 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा जेल उद्योगशाला से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी छीतर सिंह पुत्र फतेह सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

262. पप्पूलाल उर्फ हनुमान पुत्र परसराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 02 माह 17 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 39/2010 अंतर्गत धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त बंदी माननीय ए.डी.जे. जैतारण (पाली) के प्रकरण संख्या 322/2010 में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पप्पूलाल उर्फ हनुमान पुत्र परसराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

263. याकूब उर्फ काड़ा उर्फ रवि पुत्र महताब, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 02 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय ए.डी.जे. संख्या 02, डीग (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 19/2012 अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 366ए, 368 आई.पी.सी. में दिनांक 25.10.2013 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम., कामां द्वारा प्रकरण संख्या 361/2012 अंतर्गत धारा 3/25 (1)(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट में दिनांक 21.02.2015 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय ए.डी.जे. संख्या 01, डीग द्वारा प्रकरण संख्या 17/2015 अंतर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 10.08.2017 को अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि।
4. माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 01, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 657/2018 अंतर्गत धारा राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 58 ख में दिनांक 03.08.2019 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 24.03.2018 को रिहा कर दिनांक 22.04.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया,

बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सेवर (भरतपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 148/2018 अंतर्गत धारा 58 क, 58 ख राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में दर्ज करवाई गई। बंदी को फरारी के पश्चात् दिनांक 15.09.2018 को उप कारागृह, डीग में दाखिल कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा माह अप्रैल 2019 से जून 2019 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को बंदी को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जेल उद्योगशाला जाने एवं कार्य करने हेतु चेतावनी दी गई। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग), (घ) (च) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी के नियमानुसार खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी याकूब उर्फ काड़ा उर्फ रवि पुत्र महताब** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

264. कालासिंह उर्फ नरेश पुत्र कैलाश, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 02 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 394, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कालासिंह उर्फ नरेश पुत्र कैलाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

265. जयभगवान पुत्र मांगीलाल, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 02 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी, खुला बंदी शिविर, सांगानेर में सजा भुगत रहा था, के दौरान दिनांक 23.12.2019 को सायंकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर खुला बंदी शिविर से फरार हो गया, बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में एफ.

आई.आर. संख्या 1888/2019 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज करायी गई। दिनांक 27.12.2019 को बाद फरारी पुलिस थाना, सांगानेर द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन है। अधीक्षक जेल ने बताया है कि बंदी मानसिक रोग का उपचार प्राप्त कर रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला शिविर में भेजे जाने हेतु प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जयभगवान पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

266. देवलाल पुत्र जगदीश, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवलाल पुत्र जगदीश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

267. भीयाराम पुत्र भैराराम, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय सेशन न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2013 अंतर्गत धारा 367 आई.पी.सी. एवं 4 पोक्सो एक्ट, 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है तथा वर्तमान में बंदी की आयु 27 वर्ष है, जिससे बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजा जाना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भीयाराम पुत्र भैंराराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

268. तेजमल पुत्र मांगीलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण संख्या 01, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 119/2016 अंतर्गत धारा 307, 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक) से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी तेजमल पुत्र मांगीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

269. नटवरलाल पुत्र कानजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 12.06.2015 को रिहा कर दिनांक 11.07.2015 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को दिनांक 15.04.2019 को पुलिस थाना, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा द्वारा गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नटवरलाल पुत्र कानजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

270. राजेश उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 392 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जिसकी सजा समाप्त हो चुकी है, किंतु बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :-

1. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर) के प्रकरण संख्या 32/2012 अंतर्गत धारा 365, 342, 395 आई.पी.सी.।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर) के प्रकरण संख्या 286/2012 अंतर्गत धारा 394, 365, 329, 412, 413 आई.पी.सी.।
3. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर) के प्रकरण संख्या 281/2013 अंतर्गत धारा 341, 323, 141 आई.पी.सी.।

उक्त के अतिरिक्त बंदी केन्द्रीय कारागृह, अलवर एवं भीलवाड़ा से भी विचाराधीन है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेश उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

271. हरिप्रसाद पुत्र गोपाल लाल के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 घ, 377, 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये आजीवन कारावास की सजा से अभिप्रेत है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं न्यिम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरिप्रसाद पुत्र गोपाल लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

272. सुरजे खां पुत्र करीम खां, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट केसेज, जोधपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 119/2010 अंतर्गत धारा 8/21 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजावधि के विरूद्ध आदिनांक लगभग 08 वर्ष 09 माह की सजा ही भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरजे खां पुत्र करीम खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

273. सहीराम उर्फ श्रोराम पुत्र प्रहलाद राम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 14 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय ए.डी.जे., जैतारण (पाली) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 47/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी द्वारा 15 वर्ष की सजावधि के विरूद्ध आदिनांक लगभग 08 वर्ष 09 माह की सजा ही भुगती है तथा बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सहीराम उर्फ श्रीराम पुत्र प्रहलाद राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

274. प्रदीप सिंह पुत्र केवल सिंह, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रदीप सिंह पुत्र केवल सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

275. जगदीश पुत्र जुवाना, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र जुवाना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

276. डालचंद उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कामां (भरतपुर) के प्रकरण संख्या 1383/2013, एफ.आई.आर. संख्या 341/2010 पुलिस थाना, कामां में विचाराधीन (जमानत पर) है एवं सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी डालचंद उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

277. राजकुमार गुप्ता पुत्र अनंतराम, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376, 377 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजकुमार गुप्ता पुत्र अनंतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

278. सुनिल पुत्र निक्का राम, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (i) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनिल पुत्र निक्का राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

279. आबिद हुसैन पुत्र अब्दुल शकुर, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2011 अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 45/2013 अंतर्गत धारा 5 (फ) (ड)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से भी दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी द्वारा माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आबिद हुसैन पुत्र अब्दुल शकुर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

280. देवकरण पुत्र हरजी, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवकरण पुत्र हरजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

281. शम्भूलाल पुत्र मोगजी, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय विशेष न्यायालय यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, उदयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 218/2013 अंतर्गत धारा 4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अत: बंदी द्वारा कारित अपराध को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शम्भूलाल पुत्र मोगजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

282. नाथुराम पुत्र मंघाराम, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नाथुराम पुत्र मंघाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

283. जवाहर लाल पुत्र केवलराज उर्फ केवलिया, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.19 तक 07 वर्ष 11 माह 09 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुन: मादक पदार्थों की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जवाहर लाल पुत्र केवलराज उर्फ केवलिया** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

284. बद्रीलाल पुत्र कालुराम, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.19 तक 07 वर्ष 11 माह 09 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बद्रीलाल पुत्र कालुराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

285. तेजमल पुत्र जुवाना, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी तेजमल पुत्र जुवाना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

286. गोवर्धननाथ उर्फ गोविन्द पुत्र शंकरलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का भी उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गोवर्धननाथ उर्फ गोविन्द पुत्र शंकरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

287. मोहन पुत्र रामेश्वर दास, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376/34 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है।

वर्तमान में बंदी की आयु 30 वर्ष है, अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहन पुत्र रामेश्वर दास** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

288. मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 30 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 10.01.2018 को रिहा कर दिनांक 09.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, बीछवाल में एफ.आई.आर. संख्या 43/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना पुनहाना के एफ.आई.आर. संख्या 168/2018 में गिरफ्तार कर दिनांक 26.07.2018 को जिला कारागृह, गुरूग्राम (हरियाणा) में जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

289. जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 377, 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये आजीवन कारावास की सजा से अभिप्रेत है) से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.07.2019 को तलाशी के दौरान बंदी के पास मोबाईल मय सिम कार्ड बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 13.07.2019 को 07 दिवस का अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जमनाशंकर पुत्र प्रभूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

290. विनय पुत्र ओमप्रकाश, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 397 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताया है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनय पुत्र ओमप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

291. शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 11 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निम्बाहेड़ा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 35/2012 अंतर्गत धारा 323, 354, 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 578/2012 अंतर्गत धारा 498ए, 323 आई.पी.सी. में 06 माह कारावास।

3. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 55/2018 अंतर्गत धारा 58 (ख) कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में 01 वर्ष साधारण कारावास।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 01.02.2018 को रिहा कर दिनांक 20.02.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सूरजपोल (उदयपुर) में एफ.आई.आर. संख्या 55/2018 दर्ज करवाई गई। बंदी को पुलिस थाना सूरजपोल (उदयपुर) द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 18.05.2018 को जेल दाखिल करवाया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग), (घ) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (ब) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

292. नोला पुत्र जुवाना, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नोला पुत्र जुवाना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

293. कजोड़ पुत्र नन्दा, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कजोड़ पुत्र नन्दा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

294. गुरजन्ट सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.19 तक 07 वर्ष 10 माह 26 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, रतनगढ़ (चूरू) द्वारा प्रकरण संख्य. 01/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुरजन्ट सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

295. ओम पुत्र लक्ष्मीनारायण, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी ओम पुत्र लक्ष्मीनारायण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

296. फौरूलाल पुत्र बिशना, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी फौरूलाल पुत्र बिशना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

297. तैयब उर्फ मुबीन पुत्र बने खां, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय एम.जे.एम. नं. 04 के प्रकरण संख्या 23/289/2016 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी तैयब उर्फ मुबीन पुत्र बने खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

298. बागसिंह पुत्र भारत सिंह, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 74 वर्ष होने एवं लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है, किंतु प्रकरण के साथ शपथ-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बागसिंह पुत्र भारत सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

299. मंछाराम उर्फ मंछाभाई पुत्र ओबाजी, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 01.04.2019 को बाद पैरोल जेल दाखिल होते समय आर.ए.सी. गार्ड द्वारा बंदी की तलाशी लिये जाने पर उसके बैग की जेब से एक वोडाफोन सिमकार्ड व 2000/- रूपये नकद बरामद होने पर बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, रातानाड़ा, जोधपुर में एफ.आई.आर. संख्या 153/2019 दर्ज करवाई गई तथा अधीक्षक जेल द्वारा भी 01 माह

की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मंछाराम उर्फ मंछाभाई पुत्र ओबाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

300. विद्याधर सैनी उर्फ विजय पुत्र प्रभातीराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विद्याधर सैनी उर्फ विजय पुत्र प्रभातीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

301. गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 3, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 39/2012 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. (पीसीपीएनडीटी) एक्ट, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 849694/2018 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 06 माह साधारण कारावास।
3. माननीय सी.जे.एम. कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 96/2019 अंतर्गत धारा 58 (ख) राजस्थान कारागार संशोधन विधेयक, 2015 में 06 माह साधारण कारावास।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 20.09.2018 को रिहा कर दिनांक 09.10.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पावंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को पुलिस थाना मकबरा, कोटा द्वारा गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 497/2018 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 27.10.2018 को जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

302. बगड़ाराम पुत्र हाफुराम विश्नोई, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. न्यायालय, नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 85/1995 अंतर्गत धारा 8/18 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त बंदी एन.डी.पी.एस. न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या 125/2012, 276/2012 में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बगड़ाराम पुत्र हाफुराम विश्नोई** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

303. भाणुनाथ पुत्र सावतनाथ उफ श्योपतनाथ, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं

नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भाणुनाथ पुत्र सावतनाथ उफ श्योपतनाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

304. जसवंत सिंह उर्फ जस्सासिंह पुत्र गुरदेव सिंह, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 29.01.2019 को बाद पैरोल जेल दाखिल होते समय तलाशी के दौरान उसके कपड़ों में छिपाई हुई एयरटेल 4 जी मोबाईल सिम व कॉस्मेटिक क्रीम के डिब्बे में नशे की 10-12 गोलियां बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा 30 दिवस की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जसवंत सिंह उर्फ जस्सासिंह पुत्र गुरदेव सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

305. देवाराम रावल पुत्र टीला रावल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवाराम रावल पुत्र टीला रावल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

306. सुनील कुमार पुत्र पूरणमल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के जेल उद्योगशाला से माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को औपचारिक चेतावनी से दण्डित किया गया, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुनील कुमार पुत्र पूरणमल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

307. गजेन्द्र पुत्र कृष्णमुरारी, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 09 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कारित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गजेन्द्र पुत्र कृष्णमुरारी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

308. कल्लू उर्फ कमलसिंह पुत्र श्यामलाल, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 09 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय ए.डी.जे. संख्या 18, आगरा के एस.एस.टी. नम्बर 106/2004 पुलिस थाना, जगनेर अंतर्गत धारा 392/411 आई.पी.सी. में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कल्लू उर्फ कमलसिंह पुत्र श्यामलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

309. आबिद मोहम्मद कुरैशी पुत्र फजर्लुरहमान, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 09 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आबिद मोहम्मद कुरैशी पुत्र फजर्लुरहमान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

310. असलम पुत्र सवाई खां, के.का. बीकानेर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 09 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.03.2018 को वार्ड नं. 02, बैरिक नं. 06 में रात्रि गश्त के दौरान बंदी 01 मोबाईल फोन मय बैटरी सहित पकड़े जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 01.04.2018 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 17.04.2018 को वार्ड नं. 02, बैरिक नं. 06 में बंदी से 01 जियोनी फोन मय सिम बरामद किये जाने पर अधीक्षक द्वारा दिनांक 23.04.2018 को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, वर्तमान में अधीक्षक जेल द्वारा दिये गये जेलदण्ड को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

किंतु अधीक्षक जेल ने बंदी का कारागृह में आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी असलम पुत्र सवाई खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

311. **अर्जुनसिंह पुत्र हीरासिंह, के.का. उदयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 09 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (F) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी को 4, 6 पोक्सो एक्ट में क्रमशः आजीवन कारावास व 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अर्जुनसिंह पुत्र हीरासिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

312. **प्रेमकुमार उर्फ लाला पुत्र दीनानाथ, के.का. जयपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 09 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 395, 397/149 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमशः आजीवन कारावास व 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.11.2018 को प्रवेश करने वाले विचाराधीन बंदी से समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पूर्व में मेरे द्वारा ही दण्डित बंदी प्रेमकुमार को मैनवाल के ऊपर से मोबाईल फेंककर दिये थे, जिसको मैं देखने पर पहचान सकता हूँ, जिस पर उक्त बंदी से 01 नोकिया मोबाईल मय बी.एस.एन.एल. सिम/बैटरी बरामद किये जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 24.12.2018 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने व 15 दिवस का परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रेमकुमार उर्फ लाला पुत्र दीनानाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

313. विनोद सोलंकी पुत्र विजय सोलंकी, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विनोद सोलंकी पुत्र विजय सोलंकी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

314. सोमपाल उर्फ छोटू पुत्र जसवीर, के.का. भरतपुर :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गई।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोमपाल उर्फ छोटू पुत्र जसवीर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

315. धन्नी उर्फ धन्नीराम पुत्र बल्लू, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी धन्नी उर्फ धन्नीराम पुत्र बल्लू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

316. बापूलाल पुत्र भंवरलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 10 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण, छबड़ा (बारां) द्वारा प्रकरण संख्या 96/2012 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 19.05.2018 को 03 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसकी 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूलाल पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

317. नन्दा पुत्र ऊंकार, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 67 वर्ष होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (ज) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी के प्रकरण संख्या 36/2014 अंतर्गत धारा घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (पी.डब्लू. वारण्ट) में विचाराधीन है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नन्दा पुत्र ऊंकार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

318. दिनेश पुत्र गिरधारी, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिनेश पुत्र गिरधारी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

319. सफर मोहम्मद उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद अजीज, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (आजीवन कारावास से तात्पर्य जीवन पर्यन्त अर्थात् अंतिम श्वास तक कारावास) से दण्डित किया गया है तथा दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को पैरोल की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं माना है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सफर मोहम्मद उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद अजीज** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

320. मोहनलाल पुत्र चम्पालाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहनलाल पुत्र चम्पालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

321. **मंजीत सिंह पुत्र हुक्म सिंह, उ.सु.का. अजमेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुजानगढ़, चूरू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 142/2011 अंतर्गत धारा 302/149 आई.पी.सी. मे आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 50/2001 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष कारावास।
3. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना, जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2002 अंतर्गत धारा 148, 302, 149 आई.पी.सी. मे आजीवन कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। उक्त के अतिरिक्त बंदी 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मंजीत सिंह पुत्र हुक्म सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

322. राजेन्द्र उर्फ गौरू पुत्र हेतराम, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (F) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) विकल्प में 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजेन्द्र उर्फ गौरू पुत्र हेतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

323. राधेश्याम पुत्र आनन्दीलाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राधेश्याम पुत्र आनन्दीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

324. मोहम्मद फिरोज पुत्र ईशाक मोहम्मद, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. नं. 02, चित्तौड़गढ़, कैम्प निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 174/2014 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अधीक्षक जेल ने बंदी के मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की अनुशंसा नहीं की है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद फिरोज पुत्र ईशाक मोहम्मद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

325. राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र समरथाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी मानसिक रोगी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के परिजनों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है, किंतु प्रकरण के साथ परिजनों का शपथ-पत्र प्रेषित नहीं किया है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र समरथाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

326. रूपचन्द पुत्र मूलचन्द, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (जीवन पर्यन्त) से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग भी नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रूपचन्द पुत्र मूलचन्द** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

327. महेन्द्र कुमार पुत्र भैरूलाल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है, बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 04, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2003 अंतर्गत धारा 302/149, 148, 429/149, 307/149 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास।
2. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 324/2012 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 717/2011 अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 आई.पी.सी. में 01 माह साधारण कारावास।

इस प्रकार बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र भैरूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

328. नत्था सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 02.09.2018 को प्रातः 5.30 बजे मैनगेट कीपर द्वारा बंदी नत्था सिंह व अन्य बंदी को टावर नं. 05 के पास से वार्ड नं. 09 की ओर जाते देखा, दोनों बंदियों पर संदेह होने पर बंदियों को रोका गया तथा तलाशी लिये जाने पर बंदियों से 12 मोबाईल मय बैटरी, 02 सिम, 06 चार्जर, 09 ईयर फोन एवं 02 बैटरी बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 02.09.2018 को बंदी को 01 माह का परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नत्था सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

329. मुरारीलाल पुत्र बजरंगलाल, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 29 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2007 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 64 वर्ष होने व लाचार होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुरारीलाल पुत्र बजरंगलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

330. दिनेश उर्फ पहलवान पुत्र हेतराम, के.का. जयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 27 की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 03.10.2016 को रिहा कर 22.10.2016 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, लालकोठी, जयपुर शहर पूर्व में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। बंदी को दिनांक

22.08.2018 को पुलिस थाना, प्रागपुरा, जिला जयपुर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 173/2016 अंतर्गत धारा 58 (ख) राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जेल दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिनेश उर्फ पहलवान पुत्र हेतराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

331. जसपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376/511, 435 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) एवं पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, किंतु बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा पूर्ण हो चुकी है।

वर्तमान में बंदी की आयु 27 वर्ष ही है, अत: बंदी द्वारा कारित अपराध एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जसपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

332. रघुवीर पुत्र लाखन सिंह, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (i) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे

जाने की प्रवंदना नहीं की है तथा बंदी को दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास सें दण्डित किया गया है।

वर्तमान में बंदी की आयु 24 वर्ष ही है। अत: बंदी द्वारा कारित अपराध एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रघुवीर पुत्र लाखन सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया

333. विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार, के.का. भरतपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

334. रामगोपाल पुत्र कालूराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 17 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण (पाली) द्वारा प्रकरण संख्या 129/2012 अंतर्गत धारा 8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामगोपाल पुत्र कालूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

335. मोहम्मद सिद्धीक पुत्र नबी नूर, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 17 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है।

बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण (पाली) द्वारा प्रकरण संख्या 129/2012 अंतर्गत धारा 8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बंदी को मादक पदार्थो की तस्करी में दण्डित किया गया है तथा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने से उसके पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में सम्मिलित होने/फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहम्मद सिद्धीक पुत्र नबी नूर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

336. जफरू पुत्र उमरी, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376-डी आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

वर्तमान में बंदी की आयु 31 वर्ष ही है। अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जफरू पुत्र उमरी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

337. रोहित पुत्र नारायण अग्रवाल, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.10.2019 को 01 माह की अवधि तक मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रोहित पुत्र नारायण अग्रवाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

338. बाबू खां पुत्र फतेह मोहम्मद, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबू खां पुत्र फतेह मोहम्मद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

339. अनिल उर्फ लीला उर्फ लीलीया पुत्र कल्लूराम, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अनिल उर्फ लीला उर्फ लीलीया पुत्र कल्लूराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

340. भंवर पुत्र हरफूल मीणा, के.का. कोटा :- बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी निम्नांकित प्रकरणों में विचाराधीन है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 244/2008 अंतर्गत धारा 387, 395 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट।
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 236/2013 अंतर्गत धारा 307 आई.पी.सी., 11 आर.डी. एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट।
3. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 77/2013 अंतर्गत धारा 307 आई.पी.सी., 16ए, 11, 12 आर.डी. एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट।

अधीक्षक जेल ने बंदी के हार्डकोर अपराधी होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भंवर पुत्र हरफूल मीणा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

341. चैनाराम पुत्र गेबाराम, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376-डी आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

वर्तमान में बंदी की आयु 28 वर्ष है। अतः बंदी द्वारा कारित अपराध एवं आयु को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चैनाराम पुत्र गेबाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

342. द्वारका लाल पुत्र चम्पालाल, के.का. कोटा :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी द्वारका लाल पुत्र चम्पालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने *का निर्णय लिया गया।*

343. दर्शन सिंह पुत्र हजूर सिंह, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 70 वर्ष होने एवं लाचार होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दर्शन सिंह पुत्र हजूर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

344. दीपा उर्फ दीपचन्द पुत्र पेमा, के.का. उदयपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपा उर्फ दीपचन्द पुत्र पेमा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

345. सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द, के.का. बीकानेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 376-डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है एवं बंदी 5/6 पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय स्पे. जज सेशन न्यायाधीश पी.सी. एक्ट, अजमेर के एफ.आई.आर. संख्या 201/2019 पुलिस थाना, चौकी ए.सी.बी. अजमेर में विचाराधीन भी है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

346. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

347. दीपक पुत्र मदनलाल, के.का. जोधपुर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. 04, जोधपुर के प्रकरण संख्या 37/2019 में विचाराधीन है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दीपक पुत्र मदनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

348. श्रीमती सरोज देवी उर्फ बादू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार, के.का. बीकानेर :- महिला बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

महिला बंदी को 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त सजावधि के दौरान महिला बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **महिला बंदी श्रीमती सरोज देवी उर्फ बादू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

349. आशाराम उर्फ आसू पुत्र भंवरलाल, के.का. अजमेर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

पूर्व में बंदी के 20 दिवस नियमित पैरोल पर दिनांक 02.09.2018 को रिहा कर दिनांक 21.09.2018 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना, सिविल लाईन्स अजमेर में एफ.आई.आर. संख्या 368/2018 दर्ज करवाई गई। पुलिस थाना, सिविल लाईन्स द्वारा बंदी को गिरफ्तार कर दिनांक 26.09.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी की फरारी प्रकरण में सजा समाप्त हो चुकी है।

बंदी के पैरोल से फरार होने एवं जेल दाखिल होने के पश्चात् अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 26.09.2018 को 01 माह के रेमिशन प्रक्रिया से पृथक किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 376 आई.पी.सी./3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आशाराम उर्फ आसू पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

350. साबिर खां उर्फ कन्जा पुत्र सुल्तान, के.का. अलवर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 376-डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी साबिर खां उर्फ कन्जा पुत्र सुल्तान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

351. शम्भूदयाल पुत्र रमेश चन्द, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

सजावधि के दौरान बंदी द्वारा नियमित/आपात पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शम्भूदयाल पुत्र रमेश चन्द** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

352. जगदीश पुत्र कृष्णलाल, के.का. श्रीगंगानगर :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 05 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को 376 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी को 3/4 पोक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। वर्तमान में बंदी की आयु 24 वर्ष है। अतः बंदी की आयु एवं कारित अपराध को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र कृष्णलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेषित प्रकरण :-

1. मानाराम पुत्र दीवानचंद, वि.के.का. श्यालावास (दौसा) :- बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 08 वर्ष 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला शिविर में भेजे जाने/नहीं भेजे जाने के संबंध में स्पष्ट प्रवंदना नहीं की है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मानाराम पुत्र दीवानचंद** के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

2. **सुखदेव पुत्र सुच्चासिंह, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह मार्च, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की औपचारिक चेतावनी दी गई।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुखदेव पुत्र सुच्चासिंह** के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

3. **सोनपाल पुत्र रामजीलाल, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने व आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की औपचारिक चेतावनी दी गई।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोनपाल पुत्र रामजीलाल** के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

4. **किशन कुमार उर्फ रामकिशन पुत्र हाकिम उर्फ हुक्मीचंद, के.का. बीकानेर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 14.10.2019 को सोमवारीय परेड के दौरान वार्ड संख्या 03 के संतरी द्वारा बंदियों को उद्योगशाला में कार्य करने हेतु जाने के लिये कहने के पश्चात् भी बंदी जेलउद्योगशाला में नहीं जाकर स्वेच्छा से बैरिक में रहे, के कारण अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 15.10.2019 को औपचारिक चेतावनी दी गई।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशन कुमार उर्फ रामकिशन पुत्र हाकिम उर्फ हुक्मीचंद** के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

5. **मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास, के.का. अजमेर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 07 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के जेल उद्योगशाला से माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को औपचारिक चेतावनी से दण्डित किया गया, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास** के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

6. **विजयपाल पुत्र केशव, के.का. भरतपुर :-** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 07 वर्ष 06 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह मई, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की औपचारिक चेतावनी दी गई।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी विजयपाल पुत्र केशव** के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रकरण :-

1. **शंकरलाल पुत्र किशनलाल, के.का. जोधपुर :-** बंदी ने दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

राज्य सरकार द्वारा बंदी की स्थाई पैरोल स्वीकृत होने पर उसे रिहा किया जा चुका है, अतः बंदी का प्रकरण विचार योग्य नहीं है।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
सहायक निदेशक (परिवीक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप शासन सचिव गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान, जयपुर।	कार्यवाहक उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।